

Haryana Government Gazette **EXTRAORDINARY**

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 136-2016/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 26, 2016 (BHADRA 4, 1938 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 26th August, 2016

No.25-HLA of 2016/90.— The Haryana Vishwakarma Skill University Bill, 2016, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 25- HLA of 2016

THE HARYANA VISHWAKARMA SKILL UNIVERSITY BILL, 2016

A

BILL

to establish and incorporate a Skill University in the State of Haryana to facilitate and promote skill, entrepreneurship development, skill based education and research in the emerging areas of manufacturing, textile, design, logistics and transportation, automation, maintenance, etc. and to raise skill level in various fields related to these areas and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Haryana Vishwakarma Skill University Act, 2016.

commencement.

- It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- In this Act and in all Statutes, Ordinances and Regulations made thereunder, unless the context otherwise requires,-
 - "All India Council for Technical Education" means the All India Council for Technical Education established under the All India Council for Technical Education Act, 1987 (Central Act 52 of 1987);
 - "college" means a college maintained by, or admitted to the privileges of the (b) University under this Act;

Price: 5-00 (5269) Short title and

Definitions

- (c) "Council of Architecture" means the Council of Architecture constituted under the Architects Act, 1972 (Central Act 20 of 1972);
- (d) "employee" means any person appointed by the University and includes teachers and all other staff of the University;
- (e) "Haryana State Board of Technical Education" means the Haryana State Board of Technical Education established under the Haryana State Board of Technical Education Act, 2008 (19 of 2008);
- (f) "Indian Institute of Technology" means the Indian Institute of Technology incorporated under the Institute of Technology Act, 1961 (Central Act 59 of 1961);
- (g) "Indian Medical Council" means Indian Medical Council constituted under the Indian Medical Council Act, 1956 (Central Act 102 of 1956);
- (h) "Institution" means an institution, not being a college maintained by the University;
- (i) "National Council for Vocational Training" means National Council for Vocational Training established by the Central Government;
- (j) "National Institute of Technology" means an institution listed in the Schedule to the National Institute of Technology Act, 2007 (Central Act 29 of 2007);
- (k) "National Occupational Standards" means the National Occupational Standards developed by the Sector Skill Councils concerned;
- (l) "National Skill Development Agency" means the National Skill Development Agency as constituted by the Central Government;
- (m) "National Skill Development Corporation" means the National Skill Development Corporation as established by the Central Government;
- (n) "National Skill Qualification Framework" means the qualification assurance framework for skills as notified by the Central Government;
- (o) "Pharmacy Council of India" means the Council constituted under the Pharmacy Act, 1948 (Central Act 8 of 1948);
- (p) "prescribed" means prescribed by the Statutes and Regulations;
- (q) "Sector Skill Council" means the Sector Skill Council recognized as such by the National Skill Development Corporation of Central Government;
- (r) "State" means the State of Haryana;
- (s) "State Government" means the Government of the State of Haryana in the administrative department;
- (t) "State Sector Skill Council" means Sector Skill Council recognized as such by the State Government;
- (u) "Statutes", "Ordinances" and "Regulations" mean respectively the Statutes, Ordinances and Regulations of the University made under this Act;
- (v) "University" means the Haryana Vishwakarma Skill University established under this Act;
- (w) "University Grants Commission" means the University Grants Commission established under the University Grants Commission Act, 1956 (Central Act 3 of 1956);
- (x) "University teachers" means professors, associate professors, assistant professors and such other persons as may be appointed for imparting instructions, trainings or conducting research in the University or in any college or institution and are designated as teachers by the Ordinances; and
- (y) "vocational education" means such education that prepares a person to work as a technician in a trade, craft, or in support role in professions such as engineering, accountancy, nursing, medicine, architecture, law etc.

Incorporation.

3. (1) There shall continue to be a body corporate by the name of the Haryana Vishwakarma Skill University comprising of the Chancellor, Vice-Chancellor, the members of the Court, the Executive Council, the Skill Council of the University and all persons, who may hereafter become or be appointed as such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership.

- (2) The University shall have perpetual succession and a common seal with power to acquire, hold and dispose of property and to contract, and may by the said name sue or be sued.
- **4.** The University shall have the following objects, namely:-

Objects of University.

- (a) to emerge as one of the foremost institution of quality in skill education recognized by industry, nationally and internationally;
- (b) to develop qualified youth with skill proficiency and competency at different levels as per National/State qualifications of skill education;
- (c) to promote skill education in an integrated and holistic manner with higher education to ensure pathways for progression and mobility;
- (d) to provide opportunities for flexible learning systems and skill development;
- (e) to frame credit framework for competency based skill and vocational education;
- (f) to exchange expertise and best practices in support of skill developments efforts with any other college, institution, organization, university etc.;
- (g) to disseminate knowledge/skill through seminars, conferences, executive education programmes, community development programmes, publications and training programmes;
- (h) to undertake programmes for the training and development of faculty members and teachers of the University and other institutions;
- (i) to undertake collaborative research with other organizations;
- (j) to create entrepreneurs by providing necessary skill and support;
- (k) to provide consultancy to government, semi-government, public and private industries;
- (l) to create an Industry Academia partnership by inviting industry and institutions for mutual benefits;
- (m) to ensure that the standard of degree, diploma, certificates and other academic distinctions are not lower than those laid down by statutory regulatory authorities in India; and
- (n) to pursue any other objects, as may be prescribed.
- **5.** (1) The limits of the area within which the University shall exercise its powers, shall be such, as the Government may, from time to time, by notification, specify:

Territorial exercise of powers.

Provided that different areas may be specified for different faculties.

(2) Notwithstanding anything contained in any other State law for the time being in force, any college or institution situated within the limits of the areas specified under sub-section (1) shall, with effect from such date, as may be notified in this behalf by the Government, be deemed to be associated with, and admitted to, the privileges of the University and shall cease to be associated in any way with, or be admitted to, the privileges of any other University, and different dates may be notified for different colleges or institution:

Provided that-

- (i) any student of any college or institution, associated with or admitted to, any other university before the said date, who was studying for any degree, diploma or certificate examination of that university, shall be permitted to complete his course in preparation thereof and the University shall hold for such students examinations in accordance with the curricula of study in force in that university, for such period, as may be prescribed by the Statutes, Ordinances and Regulations;
- (ii) any such student may, until any such examination is held by the University, be admitted to the examination of the other university and be conferred the degree, diploma, certificate or any other privilege of that university for which he qualifies on the result of such examination.

Bar on conferring, granting or issuing degrees, diplomas or certificates by unauthorized institutions.

- **6.** (1) Notwithstanding anything contained in this Act or any other State law for the time being in force no college or institution other than the University, shall confer, grant, issue or hold himself or itself out as entitled to confer, grant or issue any degree, diploma or certificate in the specified areas of knowledge assigned to it within the territorial jurisdiction of University which is identical with or is a colourable imitation of any degree, diploma or certificate conferred, granted or issued by the University.
- (2) Contravention of the provisions of sub-section (1) shall be an offence and shall be dealt with as per rules laid down by the University in this regard keeping in view the orders and guidelines issued by the competent authorities and academic bodies such as the State Government and the University Grants Commission.
- (3) Where an offence under this section has been committed by an institution, every person incharge of and responsible to the institution for the conduct of its business at the time of the commission of the offence, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against as per the University rule:

Provided that such person shall not be liable for any action if he shows that such offence was committed without his knowledge and he exercised all due diligence for the prevention of such offence, on coming to know of it.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (3), where an offence under this section has been committed by an institution and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of any partner, director, manager, secretary or other officer of the institution, such partner, director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanations.- For the purpose of the section 'institution' means any body corporate and includes a firm or other association of individuals.

Powers and functions of University.

- 7. The University shall exercise the following powers and perform the following functions, namely:-
 - (a) to provide facilities and promote trainings, studies and research in emerging areas of skill, including new frontiers of manufacturing, textile, design, logistics and transportation, automation, maintenance, information technology, healthcare, construction, banking and finance, marketing, hospitality etc. and also to achieve excellence in enhancement in these and connected fields;
 - (b) to recognize and affiliate institutions of skill education, in such manner and in accordance with such parameters, as may be specified by Statutes;
 - (c) to develop credit framework in accordance with the National Occupational Standards as specified by the National Skill Qualification Framework;
 - (d) to develop curriculum packages of skill at different levels, as may be defined by the University or by the National Skill Qualification Framework;
 - to define norms and parameters of skill education, teaching and instruction, consistent with the credit framework and curriculum packages, as the University may deem fit;
 - (f) to award degrees, diplomas, certificates and other distinctions;
 - (g) to define norms of examination or any other measure of assessment of knowledge and competency of a student for admission to the University or institution;
 - (h) to hold examinations or other assessments of knowledge or competency, or accredit the examination or other assessment system of institution, as the University may, from time to time determine;
 - to recognize industries or training centres for the purposes of practical training of students in skill and to define norms for recognition of competency attained by a student in such practical training in industry or training centre for the purpose of earning credits;
 - (j) to lay down norms for transfer of credits to promote new learning opportunities without compromising on learning outcomes;

- (k) to appoint persons possessing significant experience, knowledge and competency, as adjunct, guest or visiting faculty of the University, on such terms and for such duration, as the University may decide;
- to lay down parameters for assessment and accreditation of skill educators and training providers in accordance with the norms specified under the National Skill Qualification Framework, or such other norms, as may be determined by the University;
- (m) to determine, specify and receive payment of fees and other charges, from students, institution, industry or body corporate for instructions and other services, including training, consultancy and advisory services, provided by the University, as the University may deem fit;
- (n) to acquire, hold, manage and dispose of any property belonging to or vested in the University, in such manner, as the University may deem fit;
- (o) to receive gifts, grants, donations or benefactions from the Central Government and the State Government and to receive bequests, donations and transfer of movable or immovable properties from testators, donors or transferors, as the case may be;
- (p) to establish its own school to provide skill education, for identification and recognition of prior learning of skill;
- (q) to establish and maintain such infrastructure including campuses and training centers within its territorial jurisdiction;
- (r) to institute and award fellowship, scholarships, exhibitions, prizes and medals;
- (s) to collaborate with any other Indian or foreign university or institution in offering joint degree programmes for bridging skill education with higher education;
- (t) to promote national and international collaboration with institutions of skill education for the purpose of developing competency, knowledge and ability to global standards;
- (u) to establish its own production house, incubation centre, retail house or service centre or any other centre which shall provide practical training to enhance skill level of youth; and
- (v) to do all such things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University.
- **8.** The University shall be open to all persons irrespective of sex, race, creed, caste or class and no test or condition shall be imposed as to religion, belief or profession in admitting or appointing members, students, teachers, workers, or in any other connection whatsoever and no benefactions shall be accepted which in the opinion of the authorities of the University involves conditions or obligations opposed to the spirit and objectives of this provision:

University open to all races, classes, castes and creeds

Provided that nothing contained in this section shall be deemed to prevent the University from making any special provisions in respect of weaker sections of the society and in particular Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

9. All teaching in the University shall be conducted by and in the name of the University in accordance with the Statutes, Ordinances and Regulations made in this behalf.

Teaching of University.

10. The following shall be officer of the University, namely:-

Officers of University

- (i) the Chancellor;
- (ii) the Vice-Chancellor;
- (iii) the Registrar; and
- (iv) such other persons in the service of the University, as may be declared by the Statutes to be officers of the University.
- **11.** (1) The Governor of Haryana by virtue of his office shall be the Chancellor of the Chancellor. University.
 - (2) The Chancellor shall be the Head of the University.

- (3) The Chancellor shall, if present, preside over the convocation of the University for conferring degrees and meetings of the Court.
 - (4) The Chancellor shall have the right-
 - to cause an inspection to be made by such person or persons, as he may direct, of the University, its buildings, laboratories, libraries, and equipment and of any college or institution maintained by the University and also of the examinations, teaching and other work conducted and done by the University;
 - (ii) to cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the administration of finances of the University, colleges or institutions.
- (5) The Chancellor shall, in every case, give notice to the University of his intention to cause an inspection or inquiry to be made and on receipt of such notice, the University shall have the right to make such representation to the Chancellor, as it may consider necessary.
- (6) After considering the representation, if any, made by the University, the Chancellor may cause to be made such inspection or inquiry, as is referred to in sub-section (4).
- (7) Where any inspection or inquiry has been caused to be made by the Chancellor, the University shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and to be heard at such inspection or inquiry.
- (8) The Chancellor may, if the inspection or inquiry is made in respect of the University or any college or institution maintained by it, address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry, and the Vice-Chancellor shall communicate to the Executive Council, the views of the Chancellor and the action to be taken thereon as advised by the Chancellor.
- (9) The Executive Council shall communicate through the Vice-Chancellor to the Chancellor such action, if any, as it proposes to take or has taken upon the result of such inspection or inquiry.
- (10) Where the Executive Council does not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the Chancellor, the Chancellor, may, after considering any explanation furnished or representation made by the Executive Council, issue such directions, as he may think fit and the Executive Council shall comply with such directions.
- (11) Without prejudice to the foregoing provisions of this section, the Chancellor may, by order in writing, annul any proceedings of the University, which are not in conformity with this Act, the Statutes or the Ordinances:

Provided that before making any such order, he shall call upon the University to show cause why such an order should not be made, and if any cause is shown within a reasonable time, he shall consider the same.

- (12) The Chancellor may, at any time, require or direct the University to act in conformity with the provisions of this Act and the Statutes, Ordinances and Regulations made thereunder.
- (13) The power exercised by the Chancellor under sub-section (11) and sub-section (12) shall not be called in question in any Civil Court.
- (14) Any employee of the University, who is aggrieved by the decision of the Executive Council or the Vice-Chancellor in respect of any disciplinary action taken against him, may address a memorial to the Chancellor in such manner, as may be prescribed by the Statutes and the decision of the Chancellor shall be final.
 - (15) The Chancellor shall have such other powers, as may be prescribed by the Statutes.
- **12.** (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the first Vice- Chancellor shall be appointed by the Chancellor on the advice of the State Government for such period not exceeding three years, as deemed appropriate by the State Government.
- (2) The Vice-chancellor shall be appointed from the field of Technology, Sciences, Public Administration, Skill Development, Pharmacy or Management.

Vice-Chancellor.

- (3) The State Government shall constitute a Search Committee consisting of two nominees of the Chancellor and one nominee of the Executive Council, three months prior to the expiry of term of the Vice- Chancellor, which shall prepare a panel of atleast three names, in alphabetical order, from which the Chancellor shall appoint the Vice-Chancellor, on the advice of the State Government. The terms and conditions of service of the Vice-Chancellor shall be determined by the Chancellor, on the advice of the State Government.
- (4) The Vice-Chancellor shall hold office for a period of three years which may be renewed for not more than one term:

Provided that he shall cease to hold the office on attaining the age of 68 years irrespective of the fact that his term has not expired.

- (5) If the Vice-Chancellor is unable to perform his duties owing to his temporary incapacity on account of illness or any other reason, or the office of the Vice-Chancellor falls vacant due to death, resignation or otherwise, the Chancellor may make arrangements for the performance of duties of the Vice-Chancellor until the existing Vice-Chancellor is able to resume his office or until a regular Vice- Chancellor is appointed, as the case may be.
- (6) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of all the authorities of the University.
- (7) The Vice-Chancellor may, if he is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any authority of the University by or under this Act, except in the matters involving creation or abolition of a faculty, department or post and the matter involving appointment or removal of an employee:

Provided that the Vice-Chancellor before exercising powers under this section shall record in writing the reasons, why the matter cannot wait till the meeting of the authority concerned:

Provided further that if the authority concerned is of the opinion that such action ought not to have been taken, it may refer the matter to the Chancellor, whose decision thereon shall be final:

Provided further that any person in the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section shall have the right to represent to the Executive Council within one month from the date on which decision on such action is communicated to him and thereupon the Executive Council may confirm, modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor. The employee shall be informed that the action has been taken under emergency powers.

- (8) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties, as may be prescribed by the Statutes or Ordinances.
- (9) The Chancellor may, on the advice of the State Government, cause an inquiry to be held in accordance with the principles of natural justice, and remove the Vice-Chancellor from office, if he is found on such inquiry, to be a person patently unfit to be continued in such office:

Provided that the Chancellor may curtail working powers and functions of Vice-Chancellor in case he is of the opinion that an ongoing matter in a complaint against the Vice-Chancellor is serious enough to be an impediment in discharging the duties of the Vice-Chancellor and may make arrangements for the performance of the duties of Vice-Chancellor until the existing Vice-Chancellor is able to resume his office or until a regular Vice-Chancellor is appointed, as the case may be.

13. (1) The Registrar shall be appointed by the Chancellor on the advice of the State Government.

Registrar.

- (2) The Registrar shall be the Chief Administrative Officer of the University. He shall work directly under the superintendence, direction and control of the Vice-Chancellor.
- **14.** The manner of appointment and powers and functions of other officers of the University Other officers. shall be such, as may be prescribed by the Statutes.

Authorities of University.

- **15.** (1) The following shall be the authorities of the University, namely:-
 - (i) the Court;
 - (ii) the Executive Council;
 - (iii) the Skill Council;
 - (iv) the Finance Committee;
 - (v) the Faculties;
 - (vi) the Planning Board; and
 - (vii) such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.
- (2) The constitution, functions, and powers of the authorities shall be such, as may be prescribed by the Statutes.

Court.

- **16.** (1) The Constitution of the Court, and the term of office of its members shall be prescribed by the Statutes.
- (2) Subject to the provisions of this Act, the Court shall have the following powers and functions, namely:-
 - (a) to review, from time to time, the broad policies and programmes of the University and to suggest measures for the improvement and development of the University;
 - (b) to consider and pass resolution on the annual report, annual budget and the annual accounts of the University and on the audit report of such accounts;
 - (c) to advise the Chancellor in respect of any matter which may be referred to it for advice; and
 - (d) to perform such other functions, as may be prescribed by the Statutes.

Executive Council.

- 17. (1) The Executive Council shall be the principal executive body of the University.
- (2) The constitution of the Executive Council, the term of office of its members and its powers and functions shall be such, as may be prescribed by the Statutes.

Academic Council.

- **18.** (1) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, the Statutes and Ordinances, co-ordinate and exercise general supervisions over all academic policies of the University.
- (2) The constitution of the Academic Council, the term of office of its members and its powers and functions shall be such, as may be prescribed by the Statutes.

Faculties.

19. The constitution and functions of the Faculties shall be such, as may be prescribed by the Statutes.

Finance Committee. **20.** The constitution of the Finance Committee, the term of office of its members, and its powers and functions shall be such, as may be prescribed by the Statutes.

Planning Board.

21. The constitution and functions of the Planning Board shall be such, as may be prescribed by the Statutes.

Statutes and their scope.

- **22.** Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely:-
 - (a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the University, as may be constituted from time to time;
 - (b) the classification, mode of appointment, powers and duties of the teachers and the officers of the University;
 - (c) the conditions of service including provision for pension or provident fund or insurance scheme for the benefit of the employees of the University;
 - (d) the conferment of honorary degrees;
 - (e) the establishment and abolition of faculties and departments;

Statutes.

- (f) the institution of fellowships, scholarships studentships, exhibitions, medals and prizes;
- (g) the maintenance of discipline among the students;
- (h) the conditions under which colleges and institutions may be admitted to the privileges of the University and the withdrawal of the same;
- (i) the delegation of powers vested in the authorities or officers of the University; and
- (j) all other matters which by this Act are to be or may be provided for, by the Statutes.
- 23. (1) On the commencement of this Act, the Statutes of the University shall be those, as set out in the Schedule:

Provided that the authorities of the University constituted under the Statutes framed before the commencement of this Act, shall continue to exercise all the powers and perform all the functions under this Act, till such authorities are constituted in terms of the Statutes set out in the Schedule referred to above.

(2) The Executive Council may, from time to time make new or additional Statutes or may amend or repeal the Statutes in the manner hereinafter provided in this section:

Provided that the Executive Council shall not make, amend or repeal any Statute, affecting the status, power or constitution of any authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion in writing on the proposed changes and any opinion so expressed shall be considered by the Executive Council.

- (3) The Skill Council may propose to the Executive Council a draft of any Statute relating to academic matters for consideration by the Executive Council.
- (4) Every new Statute or addition to the Statute or any amendment or repeal of a Statute shall require the approval of the Chancellor, who may approve, disapprove or remit it for further consideration. A Statute passed by the Executive Council shall have no validity until it has been assented to by the Chancellor.
- (5) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the Chancellor either suo motu or on the advice of the State Government, may direct the Executive Council, to make, amend or repeal the Statutes in respect of any matter specified by him and if the Executive Council fails to implement such a direction within sixty days of its receipt, the Chancellor may, after considering the reasons, if any, communicated by the Executive Council or its inability to comply with such direction, make, amend or repeal the Statutes suitably.
- **24.** Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances shall provide for all or any of the following matters, namely:-

Ordinance and their scope.

- (a) the admission of students to the University and their enrolment as such;
- (b) the courses of study to be laid down for all degrees, diplomas and certificates of the University;
- (c) the conditions under which students shall be admitted to the degree or diploma courses and to the examination of the University and shall be eligible for degrees and diplomas;
- (d) the fee to be charged for courses of study in the University and for admission to the examinations, degree and diplomas of the University; and further to make progressively the fee structure so flexible that the courses could become selffinancing to the extent possible;
- (e) the conditions of the award of fellowships, studentships, exhibition, medals and prizes;
- (f) the conduct of examinations, including the term of office and manner of appointment and the duties of examiners, moderators and assessors;
- (g) the conditions of residence of students of the University; and
- (h) all other matters which by this Act or the Statutes are to be made or may be provided for by the Ordinances.

Ordinances.

25. (1) The Ordinances shall be made, amended, repealed or added to by the Executive Council:

Provided that no Ordinance shall be made-

- (i) affecting the admission or enrolment of students or prescribing examinations to be recognized as equivalent to the University examinations; and
- (ii) affecting the conditions, mode of appointment or duties of examiners or the conduct or standard of examination or any course of study, unless the draft of such an Ordinance has been proposed by the Skill Council
- (2) The Executive Council may return to the Skill Council for reconsideration, either in whole or in part, any draft proposed by the Skill Council under sub-section (1) alongwith its suggestions:

Provided that the Executive Council shall not amend the draft proposed by the Skill Council itself. It may, however, reject such draft, if not found suitable when submitted to it by the Skill Council for the second time.

(3) All Ordinances made by the Executive Council shall have effect from such date, as it may direct and every Ordinance made shall be communicated, as soon as may be, to the Chancellor.

Regulations.

- **26.** (1) The authorities of the University may make Regulations consistent with this Act, the Statutes and the Ordinances-
 - (a) laying down the procedure to be observed at their meetings; and
 - (b) providing for all matters which by this Act, the Statutes or the Ordinances are to be prescribed by Regulations.
- (2) Every authority of the University shall make Regulations providing for giving of notice to the members of such authority of the dates of meetings and of the business to be considered at meetings and for keeping of a record of the proceedings of the meetings.

Annual Report.

27. The annual report of the University giving details of broad programmes, policies and finances, amendments of Statutes and Ordinances made during the year under report, shall be prepared under the directions of the Executive Council and shall be submitted to the Court on or after such date, as may be prescribed by the Statutes and the Court shall consider the report at its annual meeting.

Funds and accounts.

- 28. (1) The University shall have a General Fund to which shall be credited-
 - (a) its income from fees, grants, donations and gifts, if any;
 - (b) any contribution or grant made by the Central/State Government, the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, National Skill Development Agency, National Skill Development Corporation, University Grants Commission, All India Council for Technical Education or like authority, any local authority or any corporation owned or controlled by the State Government;
 - (c) endowments and other receipts.
 - (2) The University may have such other funds, as may be prescribed by the Statutes.
- (3) The funds and all moneys of the University shall be managed in such a manner, as may be prescribed by the Statutes.
- (4) The State Government may, every year, provide grant-in-aid to facilitate and promote studies and research.

Annual Accounts.

29. (1) The annual accounts and the balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council and shall at least once every year and at intervals of not more than fifteen months be audited by the Director, Local Fund Accounts, Haryana or any other auditor that may be appointed by the State Government. The annual accounts when audited shall be published in the Haryana Government Gazette and a copy of the annual accounts alongwith the report of the Director, Local Fund Accounts or the auditor shall be submitted to the Court and the Chancellor alongwith the observations of the Executive Council. Any observations made by the Chancellor on the annual accounts shall be brought to the notice of the Court and observations of the Court, if any, shall after being considered by the Executive Council, be submitted to the Chancellor.

- (2) The annual accounts of the University shall also be submitted to the State Government at the time of its submission to the Chancellor.
- **30.** (1) Every salaried officer and teacher, except the Vice-Chancellor and Registrar, shall be appointed under a written contract, which shall be lodged with the University and any dispute arising out of a contract between the University and officer or teacher shall, at the request of the teacher or officer concerned or at the instance of the University, be referred to a Tribunal of arbitration consisting of one member appointed by the Executive Council, one member nominated by the officer or teacher concerned and one nominee of the Chancellor. The decision of the majority of the members of the Tribunal shall be final and no suit shall lie in any Civil Court in respect of the matter decided by the Tribunal.

Conditions of service of officers and teachers.

- (2) Every such request shall be deemed to be a submission to arbitration within the meaning of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (Central Act 26 of 1996).
- **31.** (1) The University shall institute, for the benefit of its officers, teachers and other employees, provident fund and insurance fund on the pattern of the Government employees.
- (2) Where any provident fund and insurance fund have been so constituted, the provisions of the Provident Fund Act, 1925 (Central Act 19 of 1925) shall be applicable.

Pension, provident fund and insurance fund.

32. No act done, or proceeding taken, under this Act by any authority or other body of the University shall be invalid merely on the ground of any-

Vacancy not to invalidate proceedings.

- (a) vacancy or defect in the constitution of the authority or body; or
- (b) defect or irregularity in election, nomination or appointment of a person acting as a member thereof; or
- (c) defect or irregularity in such act or proceeding, not affecting the merits of the case.
- **33.** If any question arises whether any person has been duly elected or appointed as, or is entitled to be, a member of any authority or other body of the University, matter shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final.

Certain disputes to be referred to Chancellor.

34. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, do anything not inconsistent with the provisions of this Act which appears to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty.

Power to remove difficulties.

35. Notwithstanding anything contained in this Act, the University shall not create any teaching and non-teaching posts or revise the pay scales of the teaching and non-teaching employees without obtaining the prior approval of the State Government:

Creation of teaching and non-teaching posts.

Provided that the State Government may delegate its powers under this section to the Vice-Chancellor or the Executive Council as and when the need arises for smooth functioning and growth of the University.

36. No suit or other legal proceedings shall lie against any officer or employee of the University for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any of the provisions of this Act, the Statutes or Ordinances.

Protection of action taken in good faith.

THE SCHEDULE

[see sections 2 (u) and 23]

(STATUTES OF THE HARYANA VISHWAKARMA SKILL UNIVERSITY)

Powers and duties of Vice-Chancellor.

1.

(i)

- The Vice-Chancellor shall be ex-officio Chairman of the Executive Council, the Skill Council and the Finance Committee, and shall, in the absence of the Chancellor, preside over the convocations of the University held for conferring degrees and over the meetings of the Court. The Vice-Chancellor shall be entitled to be present at, and to address, any meeting of any authority or other body of the University but shall not be entitled to vote thereat, unless he is a member of such authority or body.
- (ii) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to see that the provisions of the Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations are duly observed and he shall take all necessary steps to ensure such observance.
- (iii) The Vice-Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened meetings of the Court, the Executive Council, the Skill Council, the Finance Committee and any other authority or body of the University.
- (iv) The Vice-Chancellor shall exercise general control over the affairs of the University and shall give effect to the decisions of the authorities of the University.
- (v) The decision of the Vice-Chancellor regarding seniority for nomination to the various authorities or bodies of the University shall be final.

Powers and duties of Registrar.

- 2. (i) The Registrar shall be ex-officio Secretary of the Executive Council and Faculties but shall not be deemed to be a member of any of these authorities and shall be ex-officio Member Secretary of the Court and the Skill Council.
 - (ii) When the Office of the Registrar is vacant or when the Registrar is by reason of illness, or any other cause unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person, as the Vice-Chancellor may appoint temporary for the purpose till regular appointment is made by the Chancellor on the advice of the State Government.
 - (iii) It shall be the duty of the Registrar-
 - (a) to be the custodian of the records, common seal and such other property of the University, as the Vice-Chancellor shall commit to his charge;
 - (b) to issue all notices convening meetings of the Court, the Executive Council, the Skill Council, the Faculties and any committee appointed by any authority of the University;
 - (c) to keep the minutes of all meetings of the Court, the Executive Council, the Skill Council, the Faculties and any Committee appointed by the authorities of the University;
 - (d) to conduct the official correspondence of the Court, the Executive Council, the Skill Council and the Faculties;
 - (e) to supply to the Chancellor, copies of the agenda, the minutes of the meetings of the authorities of the University, as soon as they are issued;
 - (f) to perform such other duties, as may, from time to time, be assigned to him by the Vice-Chancellor.
 - (iv) The Registrar shall have power to administer warning or to impose the penalty of censure or withholding of increments upon such of the employee, excluding teachers of the University and academic staff, as may be specified in the orders of the Executive Council and to suspend them pending enquiry:

Provided that no such penalty shall be imposed unless the person concerned has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken against him.

- (v) An appeal shall lie to the Vice-Chancellor against any order of the Registrar imposing any of the penalties specified in clause (iv).
- In case the inquiry discloses that a punishment, beyond the powers of the (vi) Registrar is called for, the Registrar shall, upon conclusion of the inquiry make a report to the Vice-Chancellor along with his recommendations:

Provided that an appeal shall lie to the Executive Council against an order of the Vice-Chancellor imposing any penalty.

- The Registrar shall be an authorized officer to enter into agreements, sign (vii) documents and authenticate records on behalf of the University and shall act in such capacity when the appropriate authority has taken a decision in the matter. The Registrar shall also exercise such other powers and perform such other duties, as may be prescribed by the Statutes.
- 3. The Court shall consist of the following members, namely:-

Court and its constitution.

- I. Ex-officio members
 - the Chancellor;
 - (ii) the Vice-Chancellor;
 - (iii) the Administrative Secretary to Government, Haryana, Finance Department, or his nominee;
 - (iv) the Administrative Secretary to Government, Haryana, Higher Education Department or his nominee;
 - the Administrative Secretary to Government, Haryana, Technical Education Department or his nominee;
 - (vi) the Registrar.
- II. Other members-
 - (i) professors of the University not exceeding three on the basis of seniority by
 - (ii) two eminent academicians and three representatives from industry, to be nominated by the Chancellor on the recommendation of the Vice-Chancellor.
- III. (i) The Registrar shall be the Member-Secretary of the Court.
 - Save as otherwise expressly provided, the members of Court, other than exofficio members, shall hold office for a term of two years.
 - (iii) At all meetings of the Court, three-fifth of the members shall form a quorum.
- 4. (1) The Court shall meet atleast once a year.

Court.

- A special meeting of the Court may be convened at any time, by the Chancellor, the Vice-Chancellor or on a written request by one-third of its members.
- 5. The Executive Council shall consist of the following persons, namely:-

T Ex-officio members-

- (i) the Vice-Chancellor;
- (ii) the Administrative Secretary to Government, Haryana, Finance Department or his nominee;
- (iii) the Administrative Secretary to Government, Haryana, Higher Education Department or his nominee;
- (iv) the Administrative Secretary to Government, Haryana, Technical Education Department or his nominee;
- the Administrative Secretary to Government, Haryana, Industrial Training Department or his nominee;
- (vi) the Administrative Secretary to Government, Haryana, Department or his nominee;
- (vii) the Administrative Secretary to Government, Haryana, Medical Education and Research Department or his nominee.

Executive Council and

Meetings of

constitution.

II. Other members-

- two Deans of Faculties to be nominated by the Vice-Chancellor, by rotation in accordance with the procedure laid down by the University;
- (ii) two Professors from other university to be nominated by the Vice-Chancellor;
- (iii) two persons to be nominated by the Chancellor on the recommendation of the Vice-Chancellor from amongst distinguished professionals and eminent persons from the industry/ chambers of Commerce/ Technical Universities/ Indian Institute of Technology/ Indian Institute of Management/ All India Council for Technical Education/ National Skill Development Corporation/ National Skill Development Agency etc;
- (iv) the Mission Director, Haryana Skill Development Mission.
- III. (i) The Registrar shall be the ex-officio Secretary of the Executive Council.
 - (ii) Three-fifths of the members shall form a quorum.
 - (iii) Save as otherwise expressly provided, the members of the Executive Council, other than ex-officio members, shall hold office for a term of two years.

Power of Executive Council.

- The Executive Council shall exercise the following powers, namely:
 - to hold, control and administer the revenue, property and funds of the University;
 - (b) to recommend creation or abolition of teaching, academic and non teaching posts to the State Government;
 - (c) to appoint professors, associate professors, assistant professors, other academic staff on the recommendations of the Selection Committee constituted for the purpose and to fill up temporary vacancies therein;
 - (d) to make appointments on administrative, ministerial and other posts in the manner prescribed by the Statutes;
 - to manage and regulate the finances, accounts, investments, property, business (e) and all other administrative affairs of the University and for that purpose, to appoint such agents, as it may think fit;
 - to invest any money belonging to the University including any unapplied income (f) in such stocks, funds, shares or securities as it shall, from time to time, think fit or in the purchase of immovable property in India with the like power of varying such investments from time to time;
 - to transfer or accept transfer of any movable and immovable property on behalf of (g) the University;
 - to provide buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed for (h) carrying on the work of the University;
 - to select a common seal for the University; (i)
 - to delegate any of its powers to the Vice-Chancellor, the Registrar or such other (j) employee or authority of the University or to a committee appointed by it, as it may deem fit;
 - (k) to enter into, vary, carry out, or cancel contracts on behalf of the University;
 - to make, amend or repeal the Statutes; (1)
 - (m) to make decisions regarding maintenance of discipline among students;
 - to exercise such other powers and perform such other duties, as may be conferred (n) or assigned to the Executive Council by the Act or the Statutes, or the Ordinances;
 - to exercise all powers of the University not otherwise provided for by the Act, the Statutes, or the Ordinances.

The Skill Council shall consist of the following persons, namely:-

Skill Council and its constitution.

- I. Ex-officio members:-
 - (i) the Vice-Chancellor;
 - (ii) the Director General, Higher Education Department, Haryana or his nominee;
 - (iii) the Director General, Industrial Training Department, Haryana or his nominee:
 - (iv) the Director General, Technical Education Department, Haryana or his nominee:
 - (v) the Chief Executive Officer, National Skill Development Corporation or his nominee:
 - (vi) the Director General, National Skill Development Agency or his nominee;
 - (vii) the Mission Director, Haryana Skill Development Mission or his nominee;
 - (viii) the Secretary, Board of School Education, Haryana or his nominee;
 - (ix) the Registrar.
- II. Other members:-
 - (i) two professors to be appointed by the University by rotation on the basis of seniority;
 - (ii) one senior technical officer from each Department;
 - (iii) three "Vishwakarma" Awardees (awarded by the Central Government) from the State or from the neighbouring States to be nominated by the Chancellor on the recommendation of the Vice-Chancellor;
 - (iv) two Deans from the University to be nominated by the Vice-Chancellor;
 - (v) three persons from Industries (preferably handling Human Resources) to be nominated by Chancellor on the recommendation of the Vice-Chancellor:

Provided further that any other Chairman/ officer of the University whose association is necessary may be invited to attend the meeting. However, the special invitee shall not have any right to vote.

- III. (i) The Registrar shall be the Member-Secretary of Skill Council.
 - (ii) Three-fifths of the members shall form a quorum;
 - (iii) Save as otherwise expressly provided, the members of the Skill Council, other than Ex- officio members, shall hold office for a term of two years;
 - (iv) The method of election shall be by simple majority voting by ballot and the elections shall be conducted in accordance with the rules framed by the Vice-Chancellor.
- **8.** (1) The Skill Council shall exercise the following powers, namely:-

Powers of Skill Council.

- (a) to have general supervision over the skill and academic policies of the University and to give directions regarding methods of instruction, cooperative teaching among skill colleges and skill institutions, evaluation of research or improvements in skill and academic standards;
- (b) to consider matters of skills and general academic interest either on its own initiative or on a reference by the Chancellor, the Vice-Chancellor, the Executive Council or a Faculty and to take appropriate action thereon;
- (c) to recommend to the Executive Council, the creation and abolition of teaching posts;
- (d) to prescribe syllabi and courses of study for various examinations on the recommendations of the Departments/ Faculties;
- (e) to frame such regulations consistent with the Statutes and Ordinances regarding the skill training and academic functions of the University, discipline, residence, admissions, equivalency, awards of fellowships, studentships, scholarships, medals and prizes, fee concessions, corporate life and attendance; and
- (f) to exercise such other powers and perform such other duties, as may be conferred or assigned to the Skill Council by the Act, the Statutes, or the Ordinances.
- (2) All decisions of the Skill Council concerning syllabi, courses of studies and conducting of examinations so far as they are not provided for by the Statutes and Ordinances shall be final.

Composition of the Finance Committee

- **9.** (1) The Finance Committee shall consist of the following persons, namely:
 - I. Ex-officio members:-
 - (a) the Vice-Chancellor (Chairperson);
 - (b) the Administrative Secretary to Government, Haryana, Finance Department or his nominee;
 - (c) the Administrative Secretary to Government, Haryana, Higher Education Department or his nominee;
 - (d) the Administrative Secretary to Government, Haryana, Technical Education Department or his nominee.
 - II. Other members-
 - (a) two outside members having expertise in finance to be nominated by the Chancellor on the recommendation of the Vice-Chancellor;
 - (b) One senior Professor to be nominated by the Vice-Chancellor.
 - (2) The Registrar shall be the Member-Secretary of the Committee.
- (3) Nominated members of the Finance Committee shall hold office for a term of two years.
- (4) Five members, out of whom at least two members shall be Government nominees, shall form the quorum.

Functions and powers of Finance Committee.

- 10. (1) The Finance Committee shall examine the accounts and scrutinize the proposals for expenditures and shall submit the annual budget to the Executive Council for approval. No expenditure in the budget shall be incurred by the University without the prior approval of the Finance Committee which shall fix limits for the total recurring and non-recurring expenditure for the year based on the resources and the income of the University. No expenditure shall be incurred by the University in excess of the limits so fixed.
- (2) It shall examine and recommend to the Executive Council the creation of teaching and other posts.
- (3) The annual accounts and the official estimates of the University shall be laid before the Finance Committee for its consideration and comments.

Department/ Faculty of the University. 11. The University shall have such Departments/ Faculties in the emerging areas of skill as the Executive Council on the recommendations of Skill Council may institute. The Department or Faculty so constituted shall exercise powers to promote quality skill education to meet out qualified skill requirements of growing economy and to address the skill gaps.

Appointments.

- **12.** (1) All appointments to teaching posts shall be made by the Executive Council on the recommendations of the Selection Committee.
- (2) All appointment to non-teaching posts shall be made by the Executive Council on the recommendations of the Selection Committee.
- (3) The Vice-Chancellor may, where he considers necessary, make an adhoc or temporary appointment for a period not exceeding six months, if it is not possible or desirable to make regular appointment.

Selection Committee.

- **13.** (1) A Selection Committee for the appointment of any professor, associate professor and assistant professor shall consist of:-
 - (i) the Vice-Chancellor;
 - (ii) the Dean of Faculty;
 - (iii) the Chairperson of the Department concerned, if he is a professor;
 - (iv) three experts in the concerned subject, to be invited on the basis of the list recommended by the Vice-Chancellor and approved by the Executive Council:
 - (v) the nominee of President, Haryana Skill Development Mission;
 - (vi) an academician nominated by the Chancellor.

- (2) The University may utilize the seminar or colloquium method for the selection of associate professor or assistant professor.
- (3) The Selection Committee for the Librarian, Deputy Librarian and Assistant Librarian and Director, Deputy Director and Assistant Director of Physical Education shall be the same as that of professor, associate professor and assistant professor respectively, except that the concerned expert in Physical Education or administration or Library Science, as the case may be, shall be associated with the Selection Committee.
- (4) At least five members, including two outside subject-experts, shall constitute the quorum.
- (5) The panels of names drawn up by the Executive Council and the additions, if any, made thereto by the Vice-Chancellor as provided in the Statutes, shall be subject to approval of the Chancellor:

Provided that in case one of the experts fails to turn up at the Selection Committee, after, accepting the invitation to attend the same the proceedings of the meeting shall not be invalidated:

Provided further that the proceedings of the meeting of a Selection Committee shall not be invalidated in case any of the ex-officio members of the Selection Committee fails to attend the meeting.

- (6) The Vice-Chancellor shall preside over at the meetings of a Selection Committee. The meeting of a Selection Committee shall be convened by, or under the directions of the Vice-Chancellor.
- (7) The Selection Committee shall consider and submit to the Executive council recommendations as to the appointment referred to it. If the Executive Council is unable to accept the recommendations made by the Committee, it shall record its reasons and submit the case to the Chancellor for final orders.
 - (8) The process of selection shall involve the following:
 - (a) short listing of applications in accordance with the guidelines as prescribed by the University;
 - (b) assessment of aptitude for teaching, skill, research and publications;
 - (c) ability to analyze and discuss;
 - (d) ability to communicate clearly and effectively:

Provided that ability to communicate may be assessed by requiring the candidate to participate in a group discussion or by exposure to a class room situation/lecture/laboratory, wherever it is possible.

Note:- A representative of the Scheduled Caste or Scheduled Tribe, women and physically handicapped persons shall be in the Selection Committee whenever a candidate from any of these categories appears for the interview.

14. (1) Subject to the control of the Executive Council, the Establishment Committee shall consist of:-

Establishment Committee.

- (i) the Vice-Chancellor;
- (ii) two members of the Executive Council nominated by the Vice-Chancellor;
- (iii) expert nominated by the Vice-Chancellor, whenever deemed necessary:

Provided that where there are more than one expert and one of the experts fails to turn up at the time of the meeting after accepting the invitation to attend it, the proceedings of the meeting shall be valid;

- (iv) the Registrar.
- (2) The Vice-Chancellor shall preside over at the meetings of the Establishment Committee and the Registrar shall be the Member-Secretary of the Committee.
- (3) The nominated members of the Executive Council shall hold office for two years provided that any such member, who ceases to be the member of the Executive Council, shall cease to be the member of the Establishment Committee.
- (4) The Establishment Committee shall recommend to the Executive Council appointments to Non-Teaching Posts.

Explanation:-"appointment" shall include direct appointment as well as promotion to all non-teaching posts including posts in the University Library and Sports Department.

Constitution and function of Planning Board.

- **15.** (1) The Planning Board shall consist of-
 - (a) the Vice-Chancellor;
 - (b) the Administrative Secretary to Government, Haryana, Finance Department or his nominee;
 - (c) the Administrative Secretary to Government, Haryana, Higher Education Department or his nominee;
 - (d) the Administrative Secretary to Government, Haryana, Technical Education Department or his nominee;
 - (e) not more than ten persons of high standing in education and industry who shall be appointed by the Chancellor on the recommendation of the Vice-Chancellor for a term of two years which may include the followings:-
 - (i) nominee of the All India Council for Technical Education;
 - (ii) Director of one the Indian Institute of Technology;
 - (iii) the Director, Indian Institute of Management, Rohtak;
 - (iv) the Vice-Chancellor of one of the Technical Universities of India;
 - (v) nominee of the State Government;
 - (vi) five persons of high standing in education and industry;
 - (vii) the Mission Director, Haryana Skill Development Mission;
 - (viii) representative of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India.
 - (f) The Registrar shall be the Secretary to the Board.
- (2) The recommendations of the Board shall be implemented after they are approved by appropriate authorities of the University.
- (3) It shall advise on the planning and development of the University particularly in respect of the standard of education and research in the University.

Convocation.

16. Convocation of the University for conferring of degrees and for other purposes shall be held in such manner, as may be laid down by the Executive Council, from time to time, by means of an Ordinance:

Provided that every proposal to confer an honorary degree shall be subject to the confirmation of the Chancellor.

Departments.

17. There shall be University Teaching Departments duly created by the Skill Council on the recommendation of the Vice-Chancellor in the various Faculties of the University.

Assignments of Departments of Studies to Faculties. **18.** The Departments of Studies shall be assigned to various Faculties by the Skill Council on the recommendation of the Vice-Chancellor.

Boards of Studies.

- **19.** (1) Every Department included in Faculty, may have two Boards of Studies, one for certificate/diploma studies and the other for undergraduate/ postgraduate studies and research.
- (2) The Board of Studies shall be constituted on the recommendation of Executive Council and Skill Council.

Withdrawal of degree, diploma etc.

- **20.** A degree, diploma, certificate and other academic distinctions may be withdrawn by the University-
 - (a) if the candidature of the person concerned has been cancelled or result quashed in accordance with the manner laid down by the Ordinances; or
 - (b) if the candidate has misbehaved at a convocation of the University; provided that the question whether a person has misbehaved in terms of this Statute shall be finally decided by the Vice-Chancellor; or
 - (c) when sufficient evidence is laid before the Skill Council showing that any person on whom degree or diploma was conferred by the University has been convicted of what is in their opinion a serious offence, the Skill Council may recommend to the Executive Council that such a degree or diploma be cancelled.

- 21. Approval, recognition to a teacher may be withdrawn by University
 - if the teacher fails to perform duties in accordance with the manner laid down by the Ordinances;

Withdrawal of approval, recognition of teachers.

- (b) if sufficient evidence is laid before the Executive Council that the teacher has committed an act which in their opinion is a serious offence, the Executive Council may withdraw approval, recognition of the teacher.
- 22. The University shall provide for the benefit of its officers, teachers and other employees, gratuity, ex-gratia grant etc. on the pattern of the State Government.

Gratuity, exgratia grant, etc.

The number and value of fellowships, scholarships, medals and prizes to be awarded shall be determined by the Executive Council either on its own initiative or on the recommendations of the Skill Council or Finance Committee.

Fellowships, scholarships. medals and prizes.

Notwithstanding anything contained in these Statutes, a person, who is a member of any authority or body of the University in his capacity as a member of a particular authority or body or as a holder of particular appointment shall hold office so long only as he continue to be member of that particular authority or body or the holder of that particular appointment, as the case may be:

Limitation of term of membership.

Provided that a teacher-member of any authority or body of the University who resigns his service or proceeds on leave for six months or more, shall cease to be a member of the respective body and a substitute shall be appointed. If the period of his leave is less than six months, his membership shall be held in abeyance till his return or the expiry of the period of six months, whichever is later. No substitute member shall be appointed or elected, where the membership is held in abeyance.

If a teacher is on leave for a period of six months or more, he shall not be eligible for nomination or re-election for that particular vacancy. He may, however, be eligible for nomination or election in a vacancy which may arise after his return from leave.

> Termination membership

Notwithstanding anything contained in these Statutes or the Ordinances of the University, no person, who has been convicted of any offence involving moral turpitude or has been dismissed for misconduct from a Government or Semi-Government institution or from a university or an educational institution of any kind, shall be eligible to become or to continue as a member of any authority of the University or of any committee appointed by the University. A person under suspension shall not be allowed to sit in any meeting of above authorities or committees during the period of his suspension.

for membership.

If a person is debarred by the Skill Council from any work of the University on account of Disqualification 26. any kind of malpractice on his part in connection with a University examination, such a person shall be disqualified to become, or to continue as a member of any body or authority of the University so long as the bar lasts.

> Delegation of administrative and financial powers.

- The officers, teachers and other employees of the University may exercise such administrative and financial powers, as the Executive Council may delegate through Ordinances, Regulations or by resolutions adopted by it subject to the control of the Vice-Chancellor and the superior officers concerned.
- The Vice-Chancellor or the Registrar, may delegate to an officer, teacher or any other employee of the University, such powers as he considers necessary which have been vested in them by the Statutes, Ordinances and Regulations, with the prior approval of the Vice-Chancellor.
- If not less than two-third members of the Skill Council recommend that an Honorary Degree be conferred on any person on the ground that he is, in their opinion, by reason of his eminent position and academic attainments, a fit and proper person to receive such degree, and this recommendation is endorsed by the Executive Council and approved by the Chancellor, the University may confer on such a person the Honorary Degree, so recommended, without requiring him to undergo any examination.

Honorary Degree.

Special mode of appointment.

- **29.** (1) Notwithstanding anything contained in the Statutes, the Executive Council may invite a person of high academic distinction and professional attainments to accept a post of professor in the University, on such terms and conditions, as it may deem fit and on the person agreeing to do so, appoint him to the post.
- (2) The Executive Council may appoint a teacher or any other academic staff working in any other university or organization in accordance with the manner laid down in the Ordinances.

Withdrawal of affiliation.

30. If at any time, the Executive Council finds that a skill college or institution is not complying with the requirements of the Act, Statutes, Ordinances or Regulations of the University or any instructions, issued by it or on its behalf, the Executive Council shall have the authority to withdraw the affiliation of such college or institution.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

India has a huge target of skilling 400 million youth by 2022 with speed, scale and standards whereas at present India has only 2% skilled population. The country presently faces a dual challenge of severe paucity of well-trained, quality labour, as well as non-employability of large sections of the educated workforce that possess little or no job skills. Central Government has also launched various flagship Programmes such as Swachh Bharat Abhiyan, Make in India, Digital India, National Solar Mission etc. which has further created the demand of skilled man power. To promote skill development in the country, National Skill Qualification Framework has been notified by Government of India.

Realizing the need of skilled man power and to give impetus to the industry, State Government has established Haryana Skill Development Mission. Technical Education Department has been designated as Nodal Department for Skill Development in the State. As on date there are 12 State Universities, 4 State Technical Universities, 01 Central Universities, 09 Deemed to be Universities and 17 Private Universities. There are 148 Engineering colleges, 204 Polytechnics, 152 MBA colleges, 52 MCA Colleges, 06 BHMCT institutions and 31 B. Pharmacy colleges in the State. To have maximum gross enrollment ratio at national level and to achieve skill targets we need to enhance the number of Institutions at all level.

In order to effectively rollout National Skill Qualification Framework and to implement it in true letter & sprit an institutional mechanism needs to be in place. Presently Higher Education System lacks the skills education in diverse areas. Skills education requires an educational paradigm in which practical training in real-world, industrial setting and industry linkage as the driver of education are the touchstones. It requires institution of higher learning i.e. a Skill University conceived and constructed differently, with a clear mandate for skills education. Hon'ble Chief Minister has also announced establishment of Skill University in the State.

The proposed Skill University will evolve system for Recognition of Prior Learning competency based modular courses and Credit Framework across Educational Streams. While designing the courses needs of specific industry sectors will be integrated with the University System. University will also have Centre of Excellences in skill education to impart skills which are acceptable across the globe. For each course there will be tie ups with industries to make the curriculum adjustable as per their requirements. Life Skills, Computers, Entrepreneurship Learning System, Personality Development, Time Management, Stress Management, Grooming, Etiquettes will be the part of the curriculum. Industries & Industrial Bodies will be made members of the various bodies of the University. Teachings/learnings will be based on classroom interactions, assignments and case studies. Faculty having industry exposure will be engaged as per requirements. Programmes will have choice based credit system and multi point entry & exit and to fill the gaps, if any, bridge courses will be offered.

With the above aims and objectives and to impart industry compliant skill training to the youth of the region, Skill University is to be established by enacting suitable legislation.

Chandigarh:

The 26th August, 2016.

RAM BILAS SHARMA, Technical Education Minister, Haryana.
R. K. NANDAL,

Secretary.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Sub-section 2 of Section 1 of The Haryana Vishwakarma Skill University Bill -2016 empowers the State Government to notify the date of commencement of the Act. Section 22 of the proposed Bill provides for delegation of powers vested in the authorities or officers of the University, Section 23 of the proposed Bill empowers the Executive Council to frame Statutes or additional Statutes, amend or repeal the Statutes under Act with the approval of Chancellor, Section 25 also empowers the Executive Council to make, amend, repeal or add ordinances. Similarly, Section 26 of the bill delegates the powers to the authorities of the University to make regulations to carry out the purposes of the Act. This delegation of power to the Authorities is of normal character. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required under rule 126 of the Rule of the Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly is enclosed.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2016 का विधेयक संख्या 25-एच०एल०ए०

हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय विधेयक, 2016
हरियाणा राज्य में कौशलता, उद्यमिता विकास, विनिर्माण, कपड़ा, डिजाइन, संभार—तंत्र तथा परिवहन, स्वचलन, रखरखाव इत्यादि के उभरते क्षेत्रों में कौशल आधारित शिक्षा तथा अनुसंधान सुकर बनाने तथा उन्नत करने तथा इन क्षेत्रों से सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रों में कौशल स्तर को बढ़ावा देने तथा उससे सम्बन्धित या उनसे आनुषंगिक मामलों के लिए कौशल विश्वविद्यालय स्थापित तथा निगमित

विधेयक

करने हेतु

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1- (1) यह अधिनियम हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016, कहा जा संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा ।
- 2- इस अधिनियम में तथा इसके अधीन बनाए गए सभी परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) ''अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्'' से अभिप्राय है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम 52), के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्;
 - (ख) ''महाविद्यालय'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित, या के विशेषाधिकारों से अनुमति प्राप्त कोई महाविद्यालय;
 - (ग) ''वास्तुकला परिषद्'' से अभिप्राय है, वास्तुविद् अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम, 20) के अधीन गठित वास्तुकला परिषद् ;
 - (घ) ''कर्मचारी '' से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति तथा इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक तथा सभी अन्य अमला भी शामिल है:
 - (ङ) ''हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2008 (2008 का 19) के अधीन स्थापित हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड
 - (च) ''भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान'' से अभिप्राय है, प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 59) के अधीन निगमित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान;

- (छ) ''भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्'' से अभिप्राय है, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 102) के अधीन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्;
- (ज) ''संस्था'' से अभिप्राय है, कोई संस्था, जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित कोई महाविद्यालय न हो;
- (झ) ''राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्'' से अभिप्राय है, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् ;
- (ञ) ''राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान'' से अभिप्राय है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 (2007 का केन्द्रीय अधिनियम 29) की अनुसूची में सूचीबद्ध कोई संस्था;
- (ट) "राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक" से अभिप्राय है, सम्बद्ध सेक्टर कौशल परिषदों द्वारा विकसित राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक;
- (ठ) '' राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण'' से अभिप्राय है, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा गठित राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण;
- (ड) ''राष्ट्रीय कौशल विकास निगम'' से अभिप्राय है, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा स्थापित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
- (ढ) ''राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क'' से अभिप्राय है, केन्द्रीय सरकार द्वारा कौशल के लिए यथा अधिसूचित अर्हता आश्वासन;
- (ण) ''भारतीय भेषजी परिषद्'' से अभिप्राय है, भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 8) के अधीन गठित परिषद्;
- (त) ''विहित'' से अभिप्राय है, परिनियमों तथा विनियमों द्वारा विहित;
- (थ) ''सेक्टर कौशल परिषद्'' से अभिप्राय है, केन्द्रीय सरकार के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा ऐसे रूप में मान्यताप्राप्त सेक्टर कौशल परिषद;
- (द) "राज्य" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य ;
- (ध) ''राज्य सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;
- (न) ''राज्य सेक्टर कौशल परिषद्'' से अभिप्राय है, राज्य सरकार द्वारा ऐसे रूप में मान्यताप्राप्त सेक्टर कौशल परिषद्;
- (प) ''परिनियमों'', ''अध्यादेशों'' तथा ''विनियमों'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम :
- (फ) ''विश्वविद्यालय'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय;
- (ब) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 3) के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग;
- (भ) ''विश्वविद्यालय अध्यापक'' से अभिप्राय है, आचार्य, सह—आचार्य, सहायक आचार्य तथा ऐसे अन्य व्यक्ति जो विश्वविद्यालय में अथवा किसी महाविद्यालय अथवा संस्था में शिक्षण, प्रशिक्षण देने अथवा अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किए जाएं तथा अध्यादेशों द्वारा अध्यापकों के रूप में पदाभिहित किए जाएं; तथा
- (म) ''व्यावसायिक शिक्षा'' से अभिप्राय है, ऐसी शिक्षा जो किसी ट्रेड, शिल्प, अथवा व्यावसाय जैसे इंजिनियरिंग, लेखा विधि, नर्सिंग, चिकित्सा, वास्तुकला, विधि इत्यादि में सहायक भूमिका में तकनीशियन के रूप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को समर्थ बनाना ।

निगमन।

- 3- (1) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति, संसद, कार्य परिषद्, कौशल परिषद् के सदस्यों और सभी व्यक्तियों, जो इसके बाद, ऐसे सदस्यों अथवा अधिकारियों के रूप में बनें या नियुक्त किए जाएं, जब तक वे ऐसी सदस्यता या पद पर बने रहें, से मिलकर हरियाणा विश्वकर्मा विश्वविद्यालय के नाम से निगमित निकाय बना रहेगा ।
- (2) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा होगी और उसे सम्पत्ति अर्जित, धारण तथा व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी, और वह उक्त नाम से वाद चला सकेगा या उस पर उक्त नाम से वाद चलाया जा सकेगा ।

विश्वविद्यालय के 4- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे, अर्थात्:— उद्देश्य ।

- (क) उद्योग, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यताप्राप्त कौशल शिक्षा में गुणवता की एक श्रेष्ठ संस्था के रूप में उभरनाः
- (ख) कौशल शिक्षा की राष्ट्रीय / राज्य अर्हताओं के अनुसार भिन्न-भिन्न स्तरों पर कौशल निपुणता तथा सक्षमता वाले अर्हक नवयुवक विकसित करना;
- (ग) अग्रगमन तथा गतिशीलता के लिए मार्ग सुनिश्चित करने वाली उच्चतर शिक्षा सहित एकीकृत तथा साकल्वादी रीति में कौशल शिक्षा उन्नत करना;
- (घ) नमनशील विद्या पद्धति तथा कौशल विकास के लिए अवसर उपलब्ध करवाना;
- (ड.) कौशल तथा व्यावसायिक शिक्षा पर आधारित सक्षमता के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क तैयार करना;
- (च) किसी अन्य महाविद्यालय, संस्था, संगठन, विश्वविद्यालय इत्यादि से विशेषज्ञता तथा सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान—प्रदान करना;
- (छ) सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यकारी शिक्षा प्रोग्रामों, सामुदायिक विकास प्रोग्रामों, प्रख्यानों तथा प्रशिक्षण प्रोग्रामों के माध्यम से ज्ञान / कौशल का प्रचार करना;
- (ज) विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थाओं के संकाय सदस्यों तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा विकास के लिए प्रोग्राम प्रारम्भ करना;
- (झ) अन्य संगठनों के साथ सहयोगी अनुसंधान प्रारम्भ करना;
- (ञ) आवश्यक कौशल तथा सहयोग उपलब्ध करवाते हुए उद्यमकर्ताओं का सुजन करना;
- (ट) सरकारी, अर्धसरकारी, सार्वजनिक तथा निजी उद्योगों को परामर्श उपलब्ध करवाना;
- (ठ) पारस्परिक लाभों के लिए उद्योग तथा संस्थाओं को आमन्त्रित करते हुए उद्योग एकेडेमिया साझेदारी सृजन करना;
- (ड) सुनिश्चित करना कि उपाधि, उपाधि–पत्र, प्रमाण–पत्रों तथा अन्य विद्या संबंधी उपाधियों के मानक भारत में वैधानिक विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अधिकथित मानकों से नीचे के स्तर के तो नहीं हैं; तथा
- (ढ) कोई अन्य उद्देश्य जारी रखना, जो विहित किया जाए ।
- 5- (1) क्षेत्र की सीमायें जिनके भीतर विश्वविद्यालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, ऐसी होंगी, जो सरकार, अधिसूचना द्वारा, समय–समय पर, विनिर्दिष्ट करेः

शक्तियों का क्षेत्रीय प्रयोग।

परन्तु भिन्न-भिन्न संकायों के लिए भिन्न-भिन्न क्षेत्र विनिर्दिष्ट किये जा सकते हैं ।

(2) उस समय लागू किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, उप—धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर स्थित कोई महाविद्यालय अथवा संस्था ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाये, से विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से सहयुक्त, तथा अनुमित प्राप्त समझा जायेगा / समझी जाएगी तथा वह किसी भी प्रकार से किसी अन्य विश्वविद्यालय के किन्हीं विशेषाधिकारों से सहयुक्त, या अनुमित प्राप्त नहीं रहेगा / रहेगी तथा भिन्न—भिन्न महाविद्यालयों अथवा संस्थाओं के लिये भिन्न—भिन्न तिथियां अधिसूचित की जा सकती हैं:

परन्तू-

- (i) उक्त तिथि से पूर्व किसी अन्य विश्वविद्यालय से सहयुक्त या अनुमित प्राप्त किसी महाविद्यालय या संस्था का कोई छात्र, जो उस विश्वविद्यालय की किसी उपाधि, उपाधि—पत्र या प्रमाण—पत्र परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहा था, उसकी तैयारी के संबंध में अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा और विश्वविद्यालय ऐसे छात्राओं के लिये, उस विश्वविद्यालय में लागू अध्ययन के पाठ्यचर्या के अनुसार, ऐसी अविध, जो परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों द्वारा विहित की जाए, के लिए परीक्षाएं आयोजित करेगा;
- (ii) कोई ऐसा छात्र, जब तक कोई ऐसी परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित नहीं की जाती है, अन्य विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रविष्ट किया जा सकता है और उसे उस विश्वविद्यालय की ऐसी उपाधि, उपाधि—पत्र, प्रमाण—पत्र या कोई अन्य विशेषाधिकार प्रदत्त किया जा सकता है, जिसके लिए वह ऐसी परीक्षा के परिणाम पर अर्हता प्राप्त करता है।

अप्राधिकृत संस्थाओं द्वारा उपाधियों, उपाधि—पत्रों या प्रमाण—पत्रों को प्रदत्त करने, अनुदत्त करने या जारी करने पर वर्जन।

- 6 + (1) इस अधिनियम तथा उस समय लागू किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय से भिन्न कोई भी कोई महाविद्यालय या संस्था, विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर उसको सौंपे गए ज्ञान के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में कोई उपाधि, उपाधि—पत्र या प्रमाण—पत्र प्रदत्त, अनुदत्त या जारी नहीं करेगा / करेगी, या स्वयं को कोई ऐसी उपाधि, उपाधि—पत्र या प्रमाण—पत्र प्रदत्त, अनुदत्त या जारी करने के लिए हकदारी प्रकट नहीं करेगा / करेगी, जो उस विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त, अनुदत्त या जारी की गई किसी उपाधि, उपाधि—पत्र या प्रमाण—पत्र के समरूप हो या उसकी मिलती—जुलती नकल का हो ।
- (2) उप—धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन अपराध होगा और सक्षम प्राधिकरणों तथा शैक्षणिक निकायों जैसे राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी आदेशों तथा मार्गदर्शनों के दृष्टिगत इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा अधिकथित नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
- (3) जहाँ इस धारा के अधीन कोई अपराध किसी संस्था द्वारा किया गया हो, तो वहां अपराध किए जाने के समय पर, संस्था के कार्य संचालन के लिए इसका कार्यभारी और उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति, अपराध के दोष के रूप में समझा जायेगा और विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के लिए दायी होगा:

परन्तु ऐसा व्यक्ति किसी कार्रवाई के लिए दायी नहीं होगा यदि वह दर्शाता है कि ऐसा अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था तथा उसको इसकी जानकारी होने पर, ऐसे अपराध की रोकथाम के लिए सभी सम्यक् तत्परता से कार्रवाई की गई है ।

- (4) उप—धारा (3) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहां इस धारा के अधीन किया गया अपराध किसी संस्था द्वारा किया गया हो तथा यह सिद्ध हो जाता है कि अपराध संस्था के किसी भागीदार, निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है, अथवा अपराध का किया जाना उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जाता है, वहां ऐसा भागीदार, निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दोष के रूप में समझा जायेगा तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दिष्डत किए जाने के लिए दायी होगा ।
- Ç [к]; k& इस धारा के प्रयोजन के लिए "संस्था" से अभिप्राय है, कोई निगमित निकाय और इसमें शामिल है कोई फर्म या अन्य व्यष्टि संगम।

विश्वविद्यालय की शक्तियां तथा कृत्य।

- 7- विश्वविद्यालय निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग तथा निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—
 - (क) विनिर्माण, कपड़ा, डिजाइन, संभार—तन्त्र तथा परिवहन, स्वचलन, रखरखाव, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देख—रेख, संरचना, बैंकिंग तथा वित्त, विपणन, सत्कार इत्यादि की नई सीमाओं सहित प्रशिक्षणों, अध्ययनों तथा अनुसंधान के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाना तथा उन्नत करना तथा इन और संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि में परमश्रेष्ठता भी प्राप्त करना;
 - (ख) कौशल शिक्षा संस्थाओं को ऐसी रीति में तथा ऐसे पैरामीटरों के अनुसार, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं, मान्यता देना तथा सम्बद्ध करना;
 - (ग) राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क द्वारा यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के अनुसार क्रेडिट फ्रेमवर्क विकसित करना;
 - (घ) भिन्न–भिन्न स्तरों पर कौशल का पाठ्यचर्या पैकज विकसित करना, जो विश्वविद्यालय द्वारा अथवा राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क द्वारा परिभाषित किया जाए;
 - (ड.) क्रेडिट फ्रेमवर्क तथा पाठ्यचर्या पैकजों, जैसा विश्वविद्यालय उचित समझे, से संगत कौशल शिक्षा, अध्यापन तथा शिक्षण के मानक तथा पैरामीटर परिभाषित करना;
 - (च) उपाधि, उपाधि-पत्र, प्रमाण-पत्र तथा अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करना;
 - (छ) विश्वविद्यालय या संस्था में दाखिले के लिए छात्र के ज्ञान तथा सक्षमता के मूल्यांकन के लिए परीक्षा अथवा कोई अन्य उपाय के मानक परिभाषित करना;
 - (ज) परीक्षाएं आयोजित करना अथवा ज्ञान या सक्षमता का अन्य मूल्यांकन करना, अथवा संस्था की परीक्षा या अन्य मूल्यांकन पद्धति का प्रत्यापन करना, जो विश्वविद्यालय समय—समय पर निर्धारित करेः
 - (झ) कौशल में छात्रों के प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए उद्योगों या प्रशिक्षण केन्द्रों को मान्यता देना तथा अर्जित क्रेडिटों के प्रयोजन के लिए उद्योग या प्रशिक्षण केन्द्र में ऐसे व्यावहारिक प्रशिक्षण में किसी छात्र द्वारा प्राप्त सक्षमता की मान्यता के लिए मानक परिभाषित करना;
 - (ञ) विद्या के परिणामों से समझौता किए बिना नई विद्या के अवसरों को उन्नत करने के लिए क्रेडिटों के अन्तरण के लिए मानक अधिकथित करना;

- (ट) ऐसी शर्तों पर तथा ऐसी अवधि के लिए, जैसा विश्वविद्यालय विनिश्चित करे, विश्वविद्यालय के सहायक, अतिथि या विजिटिंग संकाय के रूप में महत्वपूर्ण अनुभव, ज्ञान तथा सक्षमता रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्त करना;
- (ठ) राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क के अधीन विनिर्दिष्ट मानकों, अथवा ऐसे अन्य मानकों, जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किए जाएं, के अनुसार कौशल शिक्षकों तथा प्रशिक्षण प्रदाताओं के मूल्यांकन तथा प्रत्यापन के लिए पैरामीटर, अधिकथित करना ;
- (ड) प्रशिक्षण, परामर्श तथा सलाह सेवाओं सहित विश्वविद्यालय द्वारा उपबन्धित शिक्षण तथा अन्य सेवाओं के लिए छात्रों, संस्था, उद्योग अथवा निकाय निगम से फीसों तथा अन्य प्रभारों, जैसा विश्वविद्यालय उचित समझे, को निर्धारित करना, विनिर्दिष्ट करना तथा भुगतान प्राप्त करना ;
- (ढ) विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अथवा निहित किसी सम्पत्ति का ऐसी रीति, जैसा विश्वविद्यालय उचित समझे, में अर्जन करना, धारण करना, प्रबन्ध करना तथा व्ययन करना;
- (ण) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार से उपहार, अनुदान, चन्दा अथवा उपहार प्राप्त करना तथा वसीयतकर्ताओं, दाताओं अथवा अन्तरकों, जैसी भी स्थिति हो, से चल अथवा अचल सम्पत्तियों की वसीयतों, दोनों तथा अन्तरण प्राप्त करना;
- (त) कौशल की पूर्व विद्या की पहचान करने तथा मान्यता देने के लिए कौशल शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए इसके अपने विद्यालय स्थापित करना;
- (थ) इसकी अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर कैम्पस तथा प्रशिक्षण केन्द्रों सहित ऐसी अवसंरचना स्थापित करना तथा रख—रखाव करना;
- (द) अध्येतावृत्ति छात्रवृत्तियां, छात्र—सहायता वृत्तियां, पुरस्कारों तथा पदकों को संस्थित करना तथा प्रदान करना;
- (ध) उच्चतर शिक्षा सहित कौशल शिक्षा सेतु बन्धन के लिए उपाधि प्रदान करने वाले प्रोग्रामों में किसी अन्य भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय अथवा संस्था से सहयोग करना;
- (न) ग्लोबल मानक की सक्षमता, ज्ञान तथा सामर्थता विकसित करने के प्रयोजन के लिए कौशल शिक्षा के संस्थाओं से राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना;
- (प) इसके अपने प्रोडक्शन हाउस, इन्क्यूबेशन सेन्टर, रिटेल हाउस या सर्विस सेन्टर या कोई अन्य सेन्टर स्थापित करना जो नवयुवकों के कौशल स्तर को बढ़ाने हेतु व्यावहारिक प्रशिक्षण उपलब्ध करवाएगा; तथा
- (फ) ऐसे सभी कार्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी अथवा किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों ।
- 8- विश्वविद्यालय लिंग, मूलवंश, पंथ, जाति अथवा वर्ग को विचार में लाए बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा तथा सदस्यों, छात्रों, अध्यापकों, कर्मकारों को प्रविष्ट अथवा नियुक्त करने में अथवा किसी अन्य संबंध में, चाहे जो भी हो, धर्म, विश्वास अथवा वृत्ति के बारे में, कोई भी परीक्षा थोपी नहीं जाएगी या शर्त नहीं लगाई जाएगी और ऐसा कोई भी धर्मदान स्वीकार नहीं किया जायेगा जिसमें विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की राय में, इस उपबंध के भाव तथा उद्देश्यों के विरुद्ध शर्तें अथवा बाध्यताएं आती हों:

विश्वविद्यालय का सभी मूलवंशों,वर्गों, जातियों तथा पंथों के लिए खुला होना।

परन्तु इस धारा में दी गई कोई भी बात विश्वविद्यालय को समाज के कमजोर वर्गों और विशेष रूप में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन—जातियों के बारे में कोई विशेष उपबंध करने से रोकने वाली नहीं समझी जायेगी ।

9- विश्वविद्यालय में सारा अध्यापन, विश्वविद्यालय द्वारा तथा उसके नाम पर इस निमित्त बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के अनुसार चलाया जाएगा ।

विश्वविद्यालय का अध्यापन ।

10- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:--

विश्वविद्यालय के अधिकारी ।

- (i) कुलाधिपति;
- (i) कुलपति;
- (i) कुल-सचिव (रजिस्ट्रार); और
- (iv) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के अधिकारियों के रूप में परिनियमों द्वारा घोषित किए जाएं।

कुलाधिपति।

- 11- (1) हरियाणा के राज्यपाल अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा।
 - (2) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय का अध्यक्ष होगा।
- (3) कुलाधिपति, यदि उपस्थित हों, उपाधियां प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह तथा संसद की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।
 - (4) कुलाधिपति को निम्नलिखित अधिकार होंगे-
 - (i) ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों, जिन्हें वह निर्दिष्ट करे, द्वारा विश्वविद्यालय, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय तथा उपकरणों का तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या संस्था का तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं, किए गए या करवाये गये अध्यापन तथा अन्य कार्य का भी निरीक्षण करवाना; और
 - (ii) विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों या संस्थाओं के वित्त प्रबन्धन से संबंधित किसी मामले के बारे में वैसी ही रीति में की जाने वाली जांच करवाना।
 - (5) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, कराए जाने वाले निरीक्षण या की जाने वाली जांच के अपने आशय का विश्वविद्यालय को नोटिस देगा और ऐसे नोटिस की प्राप्ति पर, विश्वविद्यालय को कुलाधिपति को ऐसा अभ्यावेदन करने का अधिकार होगा, जो वह आवश्यक समझे ।
- (6) विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, कुलाधिपति ऐसा निरीक्षण या जांच करवा सकता है जो उप—धारा (4) में निर्दिष्ट है ।
- (7) जहां कुलाधिपति द्वारा किए जाने वाला कोई निरीक्षण या जांच करवाई गई हो, वहां विश्वविद्यालय ऐसा प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच के समय उपस्थित रहने और सुनवाई किए जाने का अधिकार होगा ।
- (8) कुलाधिपति, यदि विश्वविद्यालय या उसके द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या संस्था के बारे में निरीक्षण या जांच की गई है, तो ऐसे निरीक्षण या जांच के निष्कर्ष के संदर्भ में, कुलपित को संबोधित करेगा, और कुलपित, कुलाधिपित के दृष्टिकोण तथा कुलाधिपित द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार उस पर की जाने वाली कार्रवाई कार्य परिषद् को संसूचित करेगा।
- (9) कार्य परिषद्, कुलाधिपति को कुलपति के माध्यम से, ऐसी कार्रवाई, यदि कोई हो, जो ऐसे निरीक्षण या जांच के निष्कर्ष पर करने का प्रस्ताव करती है या कर चूकी है, संसूचित करेगी ।
- (10) जहां कार्य परिषद्, युक्तियुक्त समय के भीतर, कुलाधिपित की संतुष्टि के अनुसार कार्यवाई नहीं करती, तो कुलाधिपित, कार्य परिषद् द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी स्पष्टीकरण या किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, ऐसे निर्देश जारी कर सकता है, जो वह ठीक समझे और कार्य परिषद् ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगी ।
- (11) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाधिपति, लिखित में आदेश द्वारा, विश्वविद्यालय की किसी ऐसी कार्यवाही को निष्प्रभाव कर सकता है, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप न हों:

परन्तु कोई ऐसा आदेश करने से पहले, वह विश्वविद्यालय से कारण बताने की अपेक्षा करेगा कि क्यों न ऐसा आदेश किया जाये, और यदि युक्तियुक्त समय के भीतर कोई कारण दिया गया है, तो वह उस पर विचार करेगा ।

- (12) कुलाधिपति, किसी भी समय, विश्वविद्यालय से इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के उपबन्धों के अनुरूप कार्य करने की अपेक्षा कर सकता है या निर्देश दे सकता है ।
- (13) उप—धारा (11) तथा (12) के अधीन कुलाधिपति द्वारा प्रयोग की गई शक्तियां, किसी भी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जायेंगी ।
- (14) विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी, जो उसके विरुद्ध की गई किसी अनुशासनिक कार्रवाई के बारे में कार्य परिषद् या कुलपति के निर्णय से व्यथित हो, कुलाधिपति को अभ्यावेदन ऐसी रीति में संबोधित कर सकता है जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाये और कुलाधिपति का निर्णय अन्तिम होगा।
 - (15) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां प्राप्त होंगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें।

- 12- (1) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, प्रथम कुलपति, राज्य सरकार की कुलपति। सलाह पर, तीन वर्ष की अनधिक ऐसी अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा उचित समझे जाएं ।
- (2) कुलपति प्रौद्योगिकी, विज्ञान, लोक प्रशासन, कौशल विकास, भेषजी या प्रबन्धन के क्षेत्र में से नियुक्त किया जाएगा ।
- (3) राज्य सरकार, कुलपित की अविध समाप्ति से तीन मास पूर्व, कुलाधिपित के दो नामनिर्दिष्टयों तथा कार्य परिषद् के एक नामनिर्दिष्ट को मिलाकर कोई चयन समिति गठित करेगी, जो वर्णानुक्रम में कम से कम तीन नामों का कोई पैनल तैयार करेगी, जिसमें से कुलाधिपित, राज्य सरकार के परामर्श पर, कुलपित नियुक्त करेगा । कुलपित की सेवा के निबंधन तथा शर्तें, राज्य सरकार के परामर्श पर, कुलपित द्वारा निर्धारित की जायेंगी ।
- (4) कुलपित तीन वर्ष की अविध के लिए पद धारण करेगा जिसे एक अविध से अधिक के लिए नवीकृत नहीं किया जा सकता :

परन्तु वह तथ्य कि उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है को ध्यान में लाए बिना अड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पद धारण करने से प्रवरित हो जाएगा ।

- (5) यदि कुलपित बीमारी या किसी अन्य कारण से अपनी अस्थाई अशक्तता के फलस्वरूप अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, या कुलपित का पद मृत्यु, त्याग पत्र या अन्यथा रिक्त हो जाता है, तो कुलाधिपित जब तक वर्तमान कुलपित अपना पद पुनः ग्रहण करने के लिए समर्थ नहीं हो जाता है, या जब तक कोई नियमित कुलपित नियुक्त नहीं किया जाता है, जैसी भी स्थिति हो, तो कुलपित के कर्तव्यों का पालन करने के लिए व्यवस्था कर सकता है।
- (6) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी तथा शिक्षा अधिकारी होगा और उसका विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण होगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकरणों के निर्णयों को प्रभावशील करेगा ।
- (7) कुलपित, यदि उसकी राय हो कि किसी मामले पर तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है, तो वह संकाय, विभाग या पद के सृजन अथवा समाप्ति वाले मामले, किसी कर्मचारी की नियुक्ति या उसे हटाए जाने वाले मामले के सिवाय, इस अधिनियम द्वारा या अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण को प्रदत्त की गई किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है:

परन्तु इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने से पहले कुलपित कारण अभिलिखित करेगा कि मामले में सम्बद्ध प्राधिकरण की बैठक तक इन्तजार क्यों नहीं किया जा सकताः

परन्तु यह और कि यदि सम्बद्ध प्राधिकरण की राय है कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकता है, जिसका निर्णय उस पर अन्तिम होगाः

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी भी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपित द्वारा की गई किसी कार्रवाई से व्यथित है, ऐसी कार्रवाई पर निर्णय की संसूचना की तिथि से एक मास के भीतर कार्य परिषद् के पास अभ्यावेदन करने का अधिकार होगा और उस पर कार्य परिषद् कुलपित द्वारा की गई कार्रवाई को पुष्ट कर सकती है, उपांतिरत कर सकती है या उल्ट सकती है। कर्मचारी को सूचित किया जायेगा कि कार्रवाई अपात् शक्तियों के अधीन की गई है।

- (8) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं ।
- (9) कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श पर, नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार की जाने वाली कोई जांच करवा सकता है तथा कुलपति को पद से हटा सकता है, यदि वह, ऐसी जांच पर, ऐसे पद पर प्रत्यक्ष रूप से बने रहने के अयोग्य व्यक्ति के रूप में पाया जाता है:

परन्तु कुलाधिपति, यदि उसकी राज्य में कुलपति के विरुद्ध किसी शिकायत में चालू मामला, कुलपति के कर्तव्यों के निर्वहन में किसी अड़चन के रूप में काफी गम्भीर है, तो कुलपित की कार्य शक्तियों तथा कृत्यों को कम कर सकता है तथा जब तक वर्तमान कुलपित अपना पद ग्रहण करने में समर्थ नहीं है या जब तक कुलपित की नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती है, जैसी भी स्थिति हो, तब तक कुलपित के कर्तव्यों का पालन करने के लिए व्यवस्था कर सकता है ।

l3- (1) कुल—सचिव राज्य सरकार के परामर्श पर कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(2) कुल–सचिव, विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा। वह प्रत्यक्ष रूप से कुलपति के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा ।

कुल-सचिव ।

अन्य अधिकारी । 14- विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और शक्तियां तथा कर्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जाएं ।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण ।

- 15- (1) विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात्:--
 - (i) संसद;
 - (ii) कार्य परिषद;
 - (iii) कौशल परिषद:
 - (iv) वित्त समिति;
 - (v) संकाय;
 - (vi) योजना बोर्ड; और
 - (vii) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के रूप में घोषित किए जाएं।
 - (2) प्राधिकरणों का गठन, कृत्य तथा शक्तियां ऐसी होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

संसद ।

- 16- (1) संसद का गठन, तथा इसके सदस्यों की पदावधि परिनियमों द्वारा विहित की जायेगी ।
- (2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद की निम्नलिखित शक्तियां तथा कृत्य होंगे, अर्थात्:—
 - (क) विश्वविद्यालय की मुख्य नीतियों तथा कार्यक्रमों का, समय—समय पर, पुनर्विलोकन करना तथा विश्वविद्यालय के सुधार तथा विकास के लिए उपाय सुझाना;
 - (ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक बजट तथा वार्षिक लेखों और ऐसे लेखों की लेखा—परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना तथा संकल्प पारित करना;
 - (ग) कुलाधिपति को किसी ऐसे मामले के बारे में परामर्श देना जो उसे परामर्श के लिए निर्दिष्ट किया जाए; और
 - (घ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

कार्य परिषद ।

- 17- (1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा ।
- (2) कार्य परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा इसकी शक्तियां तथा कर्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

शिक्षा परिषद ।

- 18. (1) शिक्षा परिषद् विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक निकाय होगा, और इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की सभी शिक्षा नीतियों का समन्वय करेगी तथा उन पर सामान्य पर्यवेक्षण करेगा।
- (2) शिक्षा परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि तथा इसकी शक्तियां तथा कर्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

संकाय ।

19- संकायों के गठन तथा कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

वित्त समिति ।

20- वित्त समिति का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि तथा इसकी शक्तियां तथा कर्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

योजना बोर्ड ।

21- योजना बोर्ड का गठन तथा कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

परिनियम तथा उनका क्षेत्र ।

- 22- इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकते हैं, अर्थात्:—
 - (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों तथा अन्य निकायों, जो समय—समय पर गठित किए जाएं, का गठन, शक्तियां तथा कृत्य;
 - (ख) विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा अधिकारियों का वर्गीकरण, नियुक्ति का ढंग, शक्तियां तथा कर्तव्य;
 - (ग) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा शर्तें, जिनमें उनके लाभ के लिए पेंशन या भविष्य निधि या बीमा योजना के लिए उपबंध शामिल हैं;
 - (घ) सम्मानिक उपाधियां प्रदत्त करना;
 - (ड.) संकायों तथा विभागों की स्थापना तथा समाप्ति;

- (च) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, छात्र—सहायता वृत्तियां, पदकों तथा पुरस्कारों को संस्थित करना;
- (छ) छात्रों में अनुशासन बनाए रखना;
- (ज) शर्तें जिनके अधीन महाविद्यालयों तथा संस्थाओं को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों की अनुमति दी जा सकती है तथा उन्हें वापिस लिया जा सकता है;
- (झ) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन; और
- (ञ) सभी अन्य मामले जो इस अधिनियम द्वारा उपबंधित किए जाने हैं अथवा परिनियमों द्वारा उपबंधित किए जा सकते हैं ।
- 23- (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर, विश्वविद्यालय के परिनियम वे होंगे, जो अनुसची में परिनियम । दिए गए हैं:

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व बनाये गये परिनियमों के अधीन गठित विश्वविद्यालय के प्राधिकरण तब तक इस अधिनियम के अधीन सभी शक्तियों का प्रयोग तथा सभी कृत्यों का पालन करते रहेंगे जब तक ऐसे प्राधिकरण ऊपर निर्दिष्ट अनुसूची में बनाये गये परिनियमों के निबंधनों के अनुसार गठित नहीं किए जाते हैं ।

(2) कार्य परिषद्, समय–समय पर, नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकती है या इस धारा में इसमें, इसके बाद, उपबंधित रीति में, परिनियमों का संशोधन अथवा निरसन कर सकती है:

परन्तु कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की हैसीयत, शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को तब तक नहीं बनाएगी, संशोधित या निरसित नहीं करेगी, जब तक ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित में राय अभिव्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो, और इस प्रकार अभिव्यक्त की गई किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा ।

- (3) कौशल परिषद्, कार्य परिषद को शैक्षणिक विषयों से संबंधित किसी परिनियम के प्रारूप को कार्य परिषद् के विचार के लिए प्रस्तावित कर सकती है ।
- (4) प्रत्येक नये परिनियम अथवा परिनियम में परिवर्धन अथवा किसी परिनियम के किसी संशोधन अथवा निरसन के लिए कुलाधिपति का अनुमोदन अपेक्षित होगा, जो इसे स्वीकृत, अस्वीकृत कर सकता है अथवा इस पर आगे विचार करने के लिए इसे लौटा सकता है । कार्य परिषद् द्वारा पारित किसी परिनियम की तब तक विधिमान्यता नहीं होगी जब तक इसे कुलाधिपति द्वारा सहमित न दे दी गई हो ।
- (5) पूर्वगामी उपधाराओं में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कुलाधिपति, या तो स्वप्ररेणा से या राज्य सरकार के परामर्श पर, उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में, कार्य परिषद् को परिनियमों को बनाने, संशोधित करने या निरसन करने का निर्देश दे सकता है और यदि कार्य परिषद्, इसकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर ऐसे निर्देश को कार्यान्वित करने में असफल रहती है, तो कुलाधिपति ऐसे निर्देश का अनुपालन करने में कार्य परिषद् द्वारा अपनी अक्षमता के लिए संसूचित कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, परिनियम उचित रूप से बना सकता है, संशोधित कर सकता है या निरसित कर सकता है।

24- इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन, अध्यादेश निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबंध कर सकते हैं, अर्थातु:—

अध्यादेश तथा उनका क्षेत्र ।

- (क) विश्वविद्यालय में छात्रों का दाखिला तथा उनका ऐसे रूप में पंजीयन ;
- (ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, उपाधि—पत्रों तथा प्रमाण—पत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम;
- (ग) शर्तें, जिनके अधीन छात्रों को विश्वविद्यालय की उपाधि अथवा उपाधि—पत्र पाठ्यक्रमों तथा परीक्षाओं में दाखिला दिया जाएगा तथा ऐसी उपाधियों और उपाधि—पत्रों के लिए पात्र होंगे;
- (घ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए तथा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों तथा उपाधि—पत्रों में प्रवेश के लिए प्रभारित की जाने वाली फीसें; तथा आगे फीस के ढांचे को उत्तरोतर इस प्रकार लचीला बनाना कि संभव सीमा तक पाठ्यक्रम स्वतः वित्तपोषित हो सके;
- (ड.) अध्येता—वृत्तियां, छात्र—वृत्तियां, छात्र—सहायता वृति, पदक तथा पुरस्कार प्रदान करने की शर्ते
- (च) परीक्षाओं का संचालन, जिसमें परीक्षा लेने वाले परीक्षकों, अनुसीमकों तथा निर्धारकों की पदाविध तथा नियुक्ति की रीति तथा कर्तव्य सिम्मिलित हैं;
- (छ) विश्वविद्यालयों के छात्रों के निवास की शर्तें; तथा

(ज) सभी अन्य मामले जो इस अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा बनाए जाने हैं अथवा अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जा सकते हैं ।

अध्यादेश ।

- 25- (1) अध्यादेश, कार्य परिषद् द्वारा बनाए, संशोधित, निरसित या परिवर्धित किए जायेंगेः परन्तु कोई भी ऐसा अध्यादेश—
 - (i) जो छात्रों के दाखिले या उनके पंजीयन को अथवा विहित परीक्षाओं को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के बराबर मान्यता दिए जाने को प्रभावित करने वाला हो; और
 - (ii) जो परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें, ढंग या कर्तव्यों या परीक्षाओं अथवा किन्हीं अध्ययन पाठ्यक्रमों के संचालन या स्तर को प्रभावित करने वाला हो,

तब तक नहीं बनाया जायेगा जब तक ऐसे अध्यादेश का प्रारूप शिक्षा परिषद् द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया है ।

(2) कार्य परिषद् उपधारा (1) के अधीन कौशल परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी प्रारूप को, अपने सुझावों सहित, या तो पूर्ण रूप में या आंशिक रूप में, पुनर्विचार के लिए कौशल परिषद् को लौटा सकती है:

परन्तु कार्य परिषद्, कौशल परिषद् द्वारा प्रस्तावित प्रारूप को स्वयं संशोधित नहीं करेगी । तथापि, वह ऐसे प्रारूप को, जब उसे कौशल परिषद् द्वारा दूसरी बार इसे प्रस्तुत किया जाये, अस्वीकार कर सकती है।

- (3) कार्य परिषद् द्वारा बनाए गए सभी अध्यादेश, ऐसी तिथि से प्रभावी होंगे, जो वह निर्दिष्ट करे और बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश कुलाधिपति को, यथाशीघ्र, संसूचित किया जाएगा।
- विनियम ।
- 26- (1) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों से संगत ऐसे विनियम बना सकते हैं, जो—
 - (क) उनकी बैठकों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया अधिकथित करेंगे; और
 - (ख) ऐसे सभी मामले उपबंधित करेंगे, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के माध्यम से विनियमों द्वारा विहित किए जाने हैं।
- (2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकरण, ऐसे प्राधिकरण के सदस्यों को बैठकों की तिथियों तथा बैठकों में विचार किए जाने वाले कार्य की सूचना देने के लिए और बैठकों की कार्यवाहियों के अभिलेख रखने के लिए उपबंध करने वाले विनियम बनाएगा ।

वार्षिक रिपोर्ट ।

27- विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें रिपोर्ट के अधीन वर्ष के दौरान बनाए गए विस्तृत कार्यक्रमों, नीतियों तथा वित्त व्यवस्थाओं, परिनियमों तथा अध्यादेशों के संशोधन का विवरण देते हुए, कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार की जाएगी और संसद को ऐसी तिथि को या इसके बाद, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, प्रस्तुत की जाएंगी और संसद अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी ।

निधियां तथा लेखे ।

- 28- (1) विश्वविद्यालय की सामान्य निधि होगी जिसमें निम्नलिखित जमा किया जायेगा:--
 - (क) फीस, अनुदान, चन्दों और उपहार, यदि कोई हो, से उसकी आय;
 - (ख) केन्द्रीय / राज्य सरकार, कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय, राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय कौशल विकास नगम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् या इसी तरह के प्राधिकरण, राज्य सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन या नियंत्रित किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी निगम द्वारा दिए गए किसी अंशदान या अनुदान;
 - (ग) विन्यास तथा प्राप्तियां ।
 - (2) विश्वविद्यालय की ऐसी अन्य निधियां हो सकती हैं, जो परिनियमीं द्वारा विहित की जाएं।
- (3) विश्वविद्यालय की निधियां तथा सभी धन ऐसी रीति, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए, में प्रबन्धित किए जाएंगे ।
- (4) राज्य सरकार, प्रत्येक वर्ष, अध्ययनों तथा अनुसंधान को सुकर बनाने तथा उन्नत करने के लिए सहायता अनुदान उपलब्ध करवा सकती है ।

- 29- (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा तुलन—पत्र कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार तथा ऐसे अन्तरालों पर, जो पन्द्रह मास से अधिक न हों, निदेशक, स्थानीय लेखा—परीक्षा, हरियाणा या किसी अन्य लेखा—परीक्षक, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाये, द्वारा लेखा—परीक्षित किए जाएंगे। वार्षिक लेखे, लेखा—परीक्षित किए जाने पर, हरियाणा राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और निदेशक, स्थानीय लेखा—परीक्षा, हरियाणा अथवा लेखा—परीक्षक की रिपोर्ट सिहत वार्षिक लेखों की एक प्रति संसद तथा कुलाधिपित को कार्य परिषद् की टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत की जाएगी। वार्षिक लेखों पर कुलाधिपित द्वारा की गई कोई टिप्पणी संसद के ध्यान में लाई जाएगी तथा संसद की टिप्पणियां, यदि कोई हों, कार्य परिषद् द्वारा विचार किए जाने के बाद, कुलाधिपित को प्रस्तुत की जाएगी।
- (2) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे कुलाधिपति को उनके प्रस्तुतीकरण के समय राज्य सरकार को भी प्रस्तुत किए जाएंगे ।
- 30- (1) कुलपित तथा कुल—सचिव के सिवाय, प्रत्येक वैतिनिक अधिकारी तथा अध्यापक, लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जायगी तथा विश्वविद्यालय और अधिकारी या अध्यापक के बीच किसी संविदा से पैदा होने वाला कोई विवाद संबंधित अध्यापक या अधिकारी के अनुरोध पर या विश्वविद्यालय की प्ररेणा पर माध्यस्थम् अधिकरण जो कार्य परिष्द द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संबंधित अधिकारी या अध्यापक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य तथा कुलपित का एक नामनिर्देशिती को मिलाकर बने, को निर्दिष्ट किया जाएगा । अधिकरण के सदस्यों के बहुमत का निर्णय अंतिम होगा और अधिकरण द्वारा निर्णित विषय के संबंध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं हो सकेगा ।

अधिकारियों तथा अध्यापकों की सेवा शर्तें ।

- (2) प्रत्येक ऐसा अनुरोध माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम 26), के अर्थ के भीतर मध्यस्थता के लिए निवेदन के रूप में समझा जाएगा ।
- 31- (1) विश्वविद्यालय, अपने अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए, सरकारी कर्मचारियों के पैटर्न पर, भविष्य निधि तथा बीमा निधि संस्थित करेगा ।

पेंशन, भविष्य निधि और बीमा निधि ।

- (2) जहां कोई भविष्य निधि और बीमा निधि इस प्रकार गठित की गई है, वहां भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का केन्द्रीय अधिनियम 19), के उपबंध लागू होंगे।
- 32- इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय द्वारा किया गया कोई भी कार्य, अथवा की गई कोई कार्यवाही केवल निम्नलिखित आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी—

रिक्तियों के कारण कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।

- (क) प्राधिकरण या निकाय के गठन में किसी रिक्ति या त्रुटि; या
- (ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम—निर्देशन अथवा नियुक्ति में किसी त्रुटि या अनियमितता; या
- (ग) मामले के गुणागुण को प्रभावित न करने वाले ऐसे कार्य या कार्यवाही में किसी त्रुटि या अनियमितता ।
- 33- यदि कोई सन्देह उत्पन्न होता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय का सदस्य सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या ऐसा सदस्य बने रहने का हकदार है, तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

कतिपय विवादों का कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाना।

34- यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभाव देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अन्असंगत ऐसी कोई बात कर सकती है, जो कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ।

किनाईयां दूर करने की शक्ति।

35- इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय, सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना कोई अध्यापन और अध्यापनेत्तर पद सृजित नहीं करेगा या अध्यापन और अध्यापनेत्तर कर्मचारियों के वेतनमान पुनरिक्षित नहीं करेगा:

अध्यापन तथा अध्यापनेत्तर पदों का सृजन ।

परन्तु राज्य सरकार इस धारा के अधीन अपनी शक्तियां कुलपति या कार्य परिषद् को प्रत्यायोजित कर सकती है जब कभी विश्वविद्यालय के निर्बाध कार्य तथा उन्नयन के लिए आवश्यक समझती है ।

36- विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध किसी बात, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो, के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

v ud poh

(हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के परिनियम)

(देखिये धारा २(त) तथा २३)

कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य।

(i)

- कुलपित, कार्य परिषद्, कौशल परिषद् और वित्त सिमिति का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपित की अनुपस्थिति में, उपाधियां प्रदान करने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दीक्षान्त समारोहों और संसद की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। कुलपित, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय की किसी बैठक में उपस्थित होने और उसे सम्बोधित करने का हकदार होगा, किन्तु जब तक वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य न हो, तो मतदान करने का हकदार नहीं होगा।
- (ii) यह देखना कुलपित का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबन्धों का सम्यक् रूप से पालन किया जाता है और वह ऐसी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिये सभी आवश्यक कदम उठायेगा।
- (iii) कुलपति को संसद, कार्य परिषद्, कौशल परिषद्, वित्त समिति तथा विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय की बैठकें बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी।
- (iv) कुलपति, विश्वविद्यालय के मामलों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के निर्णयों को प्रभावशील करेगा।
- (v) विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों या निकायों में नाम-निर्देशन के लिये वरिष्ठता के बारे में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

कुल–सचिव की **2.** शक्तियां तथा कर्त्तव्य।

- (i) कुल-सचिव, कार्य परिषद् तथा संकायों का पदेन सचिव होगा किन्तु इनमें से किसी भी प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नहीं समझा जायेगा, और वह संसद और कौशल परिषद् का पदेन सदस्य-सचिव होगा ।
- (ii) जब कुल-सचिव का पद रिक्त हो जाता है या जब कुल-सचिव बीमारी के कारण अथवा किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्य निभाने में असमर्थ हो, तो जब तक राज्य सरकार के परामर्श पर कुलाधिपति द्वारा नियमित नियुक्ति नहीं की जाती है, पद के कर्तव्य का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा, जिसे कुलपति इस प्रयोजन के लिये अस्थाई रूप से नियुक्त करें।
- (iii) कूल-सचिव का यह कर्तव्य होगा-
 - (क) विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्ति, जो कुलपति उसके प्रभार में सौंपे, का अभिरक्षक होना ;
 - (ख) संसद, कार्य परिषद्, कौशल परिषद्, संकायों और विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति की बैठकें बुलाने के सभी नोटिस जारी करना ;
 - (ग) संसद, कार्य परिषद्, कौशल परिषद्, संकायों और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति की सभी बैठकों के कार्यवृत्त रखना ;
 - (घ) संसद, कार्य परिषद्, कौशल परिषद् तथा संकायों के शासकीय पत्र—व्यवहार का संचालन करना;
 - (ङ) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों की बैठकों की कार्यसूची, कार्यवृत्त की प्रतियां, उनके जारी होते ही यथाशीघ्र भेजना ;
 - (च) ऐसे अन्य कर्तव्यों जो कुलपित द्वारा, समय—समय पर, उसे सौंपे जायें, का पालन करना।
- (iv) कुल—सचिव को विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा शैक्षणिक अमले, जो कार्य पिरषद् के आदेश में विनिर्दिष्ट किये जायें, को छोड़कर, ऐसे कर्मचारियों को चेतावनी देने या पिरनिन्दा की शास्ति अधिरोपित करने या वेतनवृद्धियां रोकने तथा लंबित जांच के दौरान उन्हें निलम्बित करने की शक्ति होगी :

परन्तु कोई भी ऐसी शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जायेगी जब तक सम्बद्ध व्यक्ति को उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया हो।

- (v) खण्ड (iv) में विनिर्दिष्ट किन्हीं शास्तियों में से किसी को अधिरोपित करने वाले कुल—सचिव के किसी आदेश के विरुद्ध अपील कुलपति को होगी।
- (vi) यदि जांच से प्रकट होता है कि दण्ड, कुल—सचिव की शक्तियों से परे का है, तो कुल—सचिव जांच के निष्कर्ष पर अपनी सिफारिशों सहित कुलपति को रिपोर्ट करेगा :

परन्तु कुलपति के किसी शास्ति को अधिरोपित करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील कार्य परिषद् को होगी ।

- (vii) कुल-सचिव विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, दस्तावेज हस्ताक्षरित करने तथा अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी होगा और ऐसी हैसियत में कार्य करेगा जब विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकरण द्वारा मामले में निर्णय ले लिया गया हो। कुल-सचिव ऐसी अन्य शक्तियों का भी प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें।
- 3. (1) संसद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :--

संसद तथा इसका गठन।

- I. पदेन सदस्य
 - (i) कुलाधिपति ;
 - (ii) कुलपति ;
 - (iii) प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग या उसका नामनिर्देशिती;
 - (iv) प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग या उसका नामनिर्देशिती;
 - (v) प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग या उसका नामनिर्देशिती;
 - (vi) कुल-सचिव।
- II. अन्य सदस्य
 - (i) विश्वविद्यालय के आचार्य जो तीन से अधिक न हों, ज्येष्ठता के आधार पर बारी—बारी से
 - (ii) कुलपति की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विख्यात शिक्षाविद् तथा उद्योग से तीन प्रतिनिधि ।
- III. (i) कुल-सचिव संसद का सदस्य-सचिव होगा ।
 - (ii) अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबन्धित हैं, उसके सिवाय, पदेन सदस्यों से भिन्न, संसद के सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे।
 - (iii) संसद की सभी बैठकों में, गणपूर्ति तीन बटा पांच सदस्यों से होगी।
- 4. (1) संसद की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी।

संसद की बैठक।

- (2) संसद की विशेष बैठक कुलाधिपति, कुलपति द्वारा या इसके एक—तिहाई सदस्यों के लिखित अनुरोध पर, किसी भी समय बुलाई जा सकती है ।
- 5. (1) कार्य परिषद में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात :-

कार्य परिषद् तथा इसका गठन।

- I. पदेन सदस्य
 - (i) कुलपति ;
 - (ii) प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग या उसका नामनिर्देशिती;
 - (iii) प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग या उसका नामनिर्देशिती;
 - (iv) प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग या उसका नामनिर्देशिती;
 - (v) प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग या उसका नामनिर्देशिती :
 - (vi) प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, उद्योग विभाग या उसका नामनिर्देशिती ;
 - (vii) प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान विभाग या उसका नामनिर्देशिती।

II. अन्य सदस्य –

- (i) विश्वविद्यालय द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कुलपित द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले संकायों के दो अध्यक्ष, चक्रानुक्रम से ;
- (ii) कुलपति की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो आचार्य।
- (iii) कुलपित की सिफारिश पर कुलाधिपित द्वारा प्रतिष्ठित व्यावसायिकों तथा उद्योग / वाणिज्य मण्डल / तकनीकी विश्वविद्यालयों / भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान / भारतीय प्रबन्धन संस्थान / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् / राष्ट्रीय कौशल विकास निगम / राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण इत्यादि से विख्यात व्यक्तियों में से नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले दो व्यक्तिः
- (iv) मिशन निदेशक, हरियाणा कौशल विकास मिशन।
- III. (i) कुल-सचिव कार्य परिषद् का पदेन सचिव होगा।
 - (ii) तीन बटा पांच सदस्यों से गणपूर्ति होगी।
 - (iii) जब तक अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित न हों, पदेन सदस्यों से भिन्न, कार्य परिषद् के सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

कार्य परिषद् की **6.** कार्य परिषद् निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी, अर्थात्:—

- (क) विश्वविद्यालय के राजस्व, सम्पत्ति तथा निधियों का धारण, नियन्त्रण तथा प्रबन्ध करना;
- (ख) राज्य सरकार की सिफारिशों पर अध्यापन, शैक्षणिक तथा अध्यापनेत्तर पदों का सृजन या समापनः
- (ग) आचार्यों, सह–आचार्यों, सहायक आचार्यों, अन्य शैक्षणिक अमले को इस प्रयोजन के लिये गठित चयन समिति की सिफारिशों पर नियुक्त करना और उनमें अस्थायी रिक्तियां भरना;
- (घ) प्रशासनिक, लिपिक—वर्गीय तथा अन्य पद पर परिनियमों द्वारा विहित रीति में नियुक्ति करना:
- (ड़) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखे, निवेश, सम्पत्ति, कारबार तथा सभी अन्य प्रशासनिक कार्यकलापों का प्रबन्ध तथा विनियमन करना और उस प्रयोजन के लिये अभिकर्ता (एजेंट) नियुक्त करना जिन्हें वह ठीक समझे;
- (च) विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कोई भी धन, जिसमें उपयोग में न लाई गई कोई आय भी शामिल है, ऐसे स्टॉकों, निधियों, हिस्सों या प्रतिभूतियों में, जिन्हें वह समय—समय पर ठीक समझे या समय—समय पर ऐसे निवेशों में परिवर्तन करने की उसी प्रकार की शक्तियों सहित भारत में अचल सम्पत्ति की खरीद में निवेश करना:
- (छ) विश्वविद्यालय की ओर से किसी चल तथा अचल सम्पत्ति का अन्तरण करना या अन्तरण स्वीकार करना:
- (ज) विश्वविद्यालय के कार्य को चलाने के लिये निर्माण, परिसर, फर्नीचर तथा उपकरण तथा अन्य आवश्यक साधनों की व्यवस्था करना;
- (झ) विश्वविद्यालय के लिये कोई सामान्य मुद्रा चुनना;
- (ञ) अपनी किन्हीं शक्तियों में से कोई शक्ति कुलपति, कुल—सचिव या विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य कर्मचारी या प्राधिकरण या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति को, जो वह उचित समझे, प्रत्यायोजित करना;
- (ट) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, फेरबदल करना, उन्हें कार्यरूप देना, अथवा रदद करना;
- (ठ) परिनियम बनाना, उन्हें संशोधित अथवा निरसित करना;
- (ड) विद्यार्थियों में अनुशासन बनाये रखने के सम्बन्ध में विनिश्चय करना;
- (ढ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्त्तव्य निभाना जो अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा कार्य परिषद् को प्रदान की जायें या उसके जिम्में लगाये जाए तथा
- (ण) विश्वविद्यालय की सभी शक्तियों का प्रयोग करना जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा अन्यथा उपबंधित नहीं हैं।

- 7. कौशल परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात्:--
 - I. पदेन सदस्य
 - (i) कुलपति ;
 - (ii) महानिदेशक, उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा या उसका नामनिर्देशिती;
 - (iii) महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा या उसका नामनिर्देशिती;
 - (iv) महानिदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा या उसका नामनिर्देशिती;
 - (v) मुख्य अधिशासक अधिकारी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या उसका नामनिर्देशिती;
 - (vi) महानिदेशक, राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण या उसका नामनिर्देशिती;
 - (vii) मिशन निदेशक, हरियाणा कौशल विकास मिशन या उसका नामनिर्देशिती;
 - (viii) सचिव, विद्यालय शिक्षा बोर्ड, हरियाणा या उसका नामनिर्देशिती;
 - (ix) कुल-सचिव।
 - II. अन्य सदस्य -
 - (i) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त दो आचार्य वरिष्ठता के आधार पर, बारी-बारी से;
 - (ii) प्रत्येक विभाग से एक वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी;
 - (iii) कुलपित की सिफारिश पर कुलाधिपित द्वारा राज्य से या निकटवर्ती राज्य से नामनिर्दिष्ट तीन "विश्वकर्मा" अवार्डी (केन्द्रीय सरकार द्वारा पुरस्कृत);
 - (iv) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट से दो डीन;
 - (v) कुलपति की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट उद्योग (अधिमानतः मानव संसाधन से निपटने के लिए) से तीन व्यक्तिः

परन्तु विश्वविद्यालय का कोई अन्य अध्यक्ष / अधिकारी जिसका सहयोग आवश्यक हो बैठक में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। तथापि, विशेष आमंत्रिती को मत का कोई अधिकार नहीं होगा।

- III. (i) कुल-सचिव कौशल परिषद् का सदस्य सचिव होगा।
 - (ii) तीन बटा पांच सदस्यों से गणपूर्ति होगी।
 - (iii) अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, पदेन सदस्यों से भिन्न, कौशल परिषद् के सदस्य, दो वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे।
 - (iv) चुनाव का ढंग मतपत्र द्वारा साधारण बहुसंख्यक मतदान से होगा और चुनाव का संचालन कुलपति द्वारा बनाए गये नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- 8. (1) कौशल परिषद निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी, अर्थात:--

कौशल परिषद् की शक्तियां।

- (क) विश्वविद्यालय की कौशल तथा शिक्षा संबंधी नीतियों पर सामान्य पर्यवेक्षण करना और कौशल महाविद्यालयों और कौशल संस्थाओं में शिक्षण सहयोगी अध्यापन के ढंग के संबंध में निर्देश देना, कौशल तथा शिक्षा स्तरों में अनुसंधान तथा सुधारों का मूल्यांकन करना;
- (ख) या तो स्वप्ररेणा से या कुलाधिपति, कुलपति, कार्य परिषद् अथवा किसी संकाय के संदर्भ पर, कौशल तथा सामान्य शिक्षा हित के मामले पर विचार करना तथा उन पर उचित कार्रवाई करना ;
- (ग) कार्य परिषद् को अध्यापन पद सृजित तथा समाप्त करने की सिफारिश करना;
- (घ) विभागों / संकायों की सिफारिशों पर विभिन्न परीक्षाओं के लिये अध्ययन के पाठ्य विवरण तथा पाठ्यक्रम विहित करना;
- (ड.) विश्वविद्यालय के कौशल प्रशिक्षण तथा शिक्षा कृत्यों, अनुशासन, निवास, प्रवेश, समानता, अध्येता—वृतियों, छात्रवृतियों, पदकों तथा पुरस्कारों को प्रदान करने, फीसों की रियायतों, सामूहिक जीवन तथा उपस्थिति के सम्बन्ध में परिनियमों और अध्यादेशों से संगत ऐसे विनियम बनाना; और
- (च) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्तव्य निभाना जो अधिनियम, परिनियमों, अथवा अध्यादेशों द्वारा कौशल परिषद् को प्रदान की जायें या उसके जिम्मे लगाये जायें।
- (2) अध्ययन के पाठ्य–विवरणों, पाठ्यक्रमों तथा परीक्षाओं के संचालन के सम्बन्ध में कौशल परिषद् के सभी निर्णय, जहां तक वे परिनियमों तथा अध्यादेशों में उपबन्धित न हों, अंतिम होंगे।

और उसका गढन।

कौशल परिषद

- पदेन सदस्य (क) कुलपति (अध्यक्ष);
 - (ख) प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग या उसका नामनिर्देशिती;
 - (ग) प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग या उसका नामनिर्देशिती;
 - (घ) प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग या उसका नामनिर्देशिती;
- II. अन्य सदस्य
 - (क) कुलपति की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले वित्त में निपुणता रखने वाला दो बाह्य सदस्य;
 - (ख) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया एक वरिष्ठ आचार्य।
- (2) कुल-सचिव समिति का सदस्य सचिव होगा।
- (3) वित्त समिति के नामनिर्दिष्ट सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे।
- (4) पांच सदस्यों से, जिनमें से कम से कम दो सदस्य सरकार के नामनिर्देशिती हों, गणपूर्ति होगी।

वित्त समिति के कृत्य तथा शक्तियां।

- 10. (1) वित्त समिति लेखों की परीक्षा और व्यय के प्रस्तावों की छानबीन करेगी तथा कार्य परिषद् को वार्षिक बजट अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करेगी। वित्त समिति, जो विश्वविद्यालयों के साधनों तथा आय के आधार पर वर्ष के लिये कुल आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की सीमाएं नियत करेगी, के पूर्व अनुमोदन के बिना, विश्वविद्यालय द्वारा, बजट में से कोई व्यय नहीं किया जायेगा। इस प्रकार नियत सीमाओं से अधिक कोई व्यय विश्वविद्यालय द्वारा उपगत नहीं किया जायेगा।
- (2) यह अध्यापन तथा अन्य पद बनाने की जांच करेगी तथा कार्य परिषद् को सिफारिश करेगी।
- (3) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा शासकीय प्राक्कलन, वित्त समिति के सामने, उस पर उसके विचार तथा टिप्पणी के लिये रखे जायेंगे।

विश्वविद्यालय के विभाग / संकाय। 11. विश्वविद्यालय कौशल परिषद् की सिफारिशों पर कार्य परिषद् कौशल के उभरते क्षेत्रों में ऐसे विभागों / निकायों को स्थापित कर सकती है। इस प्रकार गठित विभाग / संकाय उभरती अर्थव्यवस्था की कौशल अर्हता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कौशल शिक्षा गुणवता को उन्नत करने तथा कौशल अन्तराल को कम करने हेतु शक्तियों का प्रयोग करेगी।

नियुक्तियां।

- **12.** (1) अध्यापनेत्तर पद पर सभी नियुक्तियां चयन समिति की सिफारिशों पर, कार्य परिषद् द्वारा की जायेंगी।
- (2) गैर—अध्यापनेत्तर पद पर सभी नियुक्तियां, चयन समिति की सिफारिशों पर, कार्य परिषद् द्वारा की जाएंगी।
- (3) कुलपति, जहां वह आवश्यक समझे, छह मास तक की अनधिक अवधि के लिये तदर्थ या अस्थायी नियुक्ति कर सकता है, यदि नियमित नियुक्ति करना संभव अथवा वांछनीय न हो।

चयन समितियां।

- **13.** (1) किसी आचार्य, सह—आचार्य तथा सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए, चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:—
 - (i) कुलपति ;
 - (ii) डीन, संकाय;
 - (iii) सम्बद्ध विभाग का अध्यक्ष, यदि वह आचार्य हो ;
 - (iv) कुलपति की सिफारिश पर तथा कार्य परिषद् से अनुमोदित सूची के आधार पर आमन्त्रित किये जाने वाले सम्बंधित तीन विशेषज्ञ;
 - (v) प्रधान, हरियाणा कौशल विकास मिशन का नाम निर्देशिती;
 - (vi) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई शिक्षाविद्।
- (2) विश्वविद्यालय सह—आचार्य अथवा सहायक आचार्य के चयन के लिए सेमिनार अथवा विद्वत गोष्ठी ढंग का उपयोग करेगी।
- (3) पुस्तकाध्यक्ष, उप पुस्तकाध्यक्ष तथा सहायक पुस्तकाध्यक्ष तथा निदेशक, उप निदेशक तथा सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा के लिए चयन समिति वैसी ही होगी जैसे क्रमशः आचार्य, सह—आचार्य तथा सहायक आचार्य हेतु गठित की गई है, सिवाय कि शारीरिक शिक्षा अथवा प्रशासन अथवा पुस्तकालय विज्ञान, जैसी भी स्थिति हो, में सम्बन्धित विशेषज्ञ चयन समिति से सहयुक्त होगा।

- (4) दो बाहरी विषय विशेषज्ञों को सिम्मिलित करते हुए, कम से कम पांच सदस्यों से गणपूर्ति का गठन होगा।
- (5) परिनियमों में यथा उपबन्धित, कार्य परिषद् द्वारा की गई नामावलियां तथा कुलपति द्वारा उनमें किए गए परिवर्धन, यदि कोई हों, कुलाधिपति के अनुमोदन के अध्यधीन होंगेः

परन्तु यदि चयन समिति में उपस्थित होने के निमन्त्रण को स्वीकार करने के बाद भी विशेषज्ञों में से कोई एक उपस्थित होने में असफल रहता है, तो बैठक की कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी:

परन्तु यह और कि चयन समिति की कार्यवाही अविधिमान्य न होगी यदि चयन समिति का कोई पदेन सदस्य बैठक में उपस्थित होने में असफल रहता है।

- (6) कुलपति चयन समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। चयन समिति की बैठक कुलपति निर्देशों द्वारा, अथवा के अधीन बुलाई जायेगी।
- (7) चयन समिति उसे निर्दिष्ट की गई नियुक्तियों के बारे में विचार करेगी और इस सम्बन्ध में कार्य परिषद् को सिफारिश प्रस्तुत करेगी। यदि कार्य परिषद् समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करने में असमर्थ हो, तो वह इसके कारण अभिलिखित करेगी और मामला कुलाधिपति को अन्तिम आदेशों के लिये प्रस्तुत करेगी।
 - (8) चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :
 - (क) विश्वविद्यालय द्वारा यथा विहित मार्गदर्शन के अनुसार आवेदनों का लघु सूचीकरण करनाः
 - (ख) अध्यापन, कौशल, अनुसंधान तथा प्रख्यानों के लिए योग्य मूल्यांकन करना;
 - (ग) विश्लेषण तथा विचार-विमर्श करने की क्षमता;
 - (घ) स्पस्टतया तथा प्रभावशाली संसूचित क्षमताः

परन्तु संसूचित क्षमता उम्मीदवार से समूह में विचार विमर्श में भाग लेने की अपेक्षा करते हुए तथा कक्षाकक्ष की अवस्थिति / व्याख्यान / प्रयोगशाला के प्रदर्शन द्वारा मूल्यांकित की जा सकती है, जहां कहीं यह सम्भव हो।

fVIi. k% अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति, महिला तथा शारीरिक विकलांग व्यक्ति का प्रतिनिधि चयन समिति में होगा जब साक्षात्कार के लिए कोई इन प्रवर्गों से उम्मीद्वार उपस्थित होता है।

14. (1) कार्य परिषद के नियंत्रणाधीन, स्थापना समिति में निम्मलिखित शामिल होंगे-

स्थापना समिति।

- (i) कुलपति ;
- (ii) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट कार्य परिषद् के दो सदस्य;
- (iii) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ जब-जब आवश्यक समझेः

परन्तु जहां एक से अधिक विशेषज्ञ हों तथा उनमें से एक विशेषज्ञ बैठक में उपस्थित होने के समय पर आमंत्रण स्वीकार करने के बाद उसमें उपस्थित होने में असफल रहता है, तो बैठक की कार्यवाहियां विधिमान्य होंगी;

- (iv) कुल-सचिव।
- (2) कुलपति स्थापना समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा और कुल–सचिव समिति का सदस्य–सचिव होगा।
- (3) कार्य परिषद् का नामनिर्दिष्ट सदस्य दो वर्ष के लिए पद धारण करेंगे; बशर्ते कि कोई ऐसा सदस्य, जो कार्य परिषद् के सदस्य के रूप में नहीं रहता है, स्थापना समिति के सदस्य के रूप में भी नहीं रहेगा।
- (4) स्थापना समिति गैर—अध्यापनेत्तर पदों पर नियुक्तियों के लिए कार्य परिषद् को सिफारिश करेगी ।

पृ (; k& "नियुक्ति" में विश्वविद्यालय, पुस्तकालय तथा खेल विभाग के पदों सहित सभी गैर—अध्यापनेत्तर पदों पर सीधी नियुक्ति के साथ—साथ पदोन्नित भी शामिल होगी।

15. (1) योजना बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे:--

योजना बोर्ड का गठन और कृत्य।

- (क) कुलपति;
- (ख) प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग या उसका नामनिर्देशिती;
- (ग) प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग या उसका नामनिर्देशिती;
- (घ) प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग या उसका नामनिर्देशिती;
- (ड.) शिक्षा तथा उद्योग में उच्च जानकारी रखने वाले दस से अनिधक व्यक्ति, जो कुलपित की सिफारिश पर कुलिधपित द्वारा दो वर्ष की अविध के लिए नियुक्त किए जाएंगे, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:—
 - (i) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का नामनिर्देशिती;
 - (ii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का एक निदेशक;
 - (iii) निदेशक, भारतीय प्रबन्ध संस्थान, रोहतक;
 - (iv) भारतीय तकनीकी विश्वविद्यालयों का एक कुलपति;
 - (v) राज्य सरकार का नामनिर्देशिती;
 - (vi) शिक्षा तथा उद्योग में उच्च जानकारी रखने वाले पाँच व्यक्ति ;
 - (vii) मिशन निदेशक, हरियाणा कौशल विकास मिशन;
 - (viii) कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय का प्रतिनिधि, भारत सरकार।
- (च) कुल-सचिव बोर्ड का सदस्य सचिव होगा।
- (2) बोर्ड की सिफारिशों को, विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित किये जाने के बाद, कार्यरूप दिया जायेगा।
- (3) यह विश्वविद्यालय में, विशेषकर, शिक्षा और अनुसंधान के स्तर के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की योजना और विकास पर परामर्श देगा।

दीक्षान्त-समारोह।

16. उपाधियां प्रदान करने के लिए तथा अन्य प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय का दीक्षान्त समारोह ऐसी रीति में किया जायेगा, जो कार्य परिषद् द्वारा समय—समय पर अध्यादेश द्वारा अधिकथित किया जायेः

परन्तु सम्मानार्थ उपाधि प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अधीन रहते हुए होगा।

विभाग ।

17. विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में कुलपित की सिफारिश पर कौशल परिषद् द्वारा सम्यक् रूप से सृजित विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग होंगे।

संकायों के अध्ययन विभाग का समनुदेशन।

18. कुलपति की सिफारिश पर, कौशल परिषद् द्वारा अध्ययन विभाग विभिन्न संकायों को समनुदेशित किये जायेंगे।

अध्ययन बोर्ड।

- 19. (1) संकाय सिहत प्रत्येक विभाग में दो अध्ययन बोर्ड होंगे अर्थात् एक प्रमाण-पत्र / उपाधि-पत्र और दूसरा पूर्व स्नातक / स्नातकोतर अध्ययन तथा अनुसंधान ।
 - (2) अध्ययन बोर्ड कार्य परिषद् तथा कौशल परिषद् की सिफारिश पर गठित किया जाएगा।

उपाधि,उपाधि— पत्र इत्यादि की वापसी ।

- **20.** विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि, उपाधि–पत्र, प्रमाण–पत्र तथा अन्य विद्या संबंधी उपाधियां वापस ली जा सकती हैं
 - (क) यदि सम्बन्धित व्यक्ति की उम्मीदवारी, अध्यादेश द्वारा अधिकथित रीति के अनुसार रद्द कर दी गई हो, या परीक्षाफल रद्द कर दिया गया हो; अथवा
 - (ख) यदि उम्मीदवार ने विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में दुर्व्यवहार किया हो; बशर्ते इस संदेह का अंतिम रूप से विनिश्चय कुलपति द्वारा किया जायेगा कि क्या व्यक्ति ने इस परिनियम के अनुसार दुर्व्यवहार किया है या नहीं; अथवा
 - (ग) जब कौशल परिषद् के सामने, यह दर्शाते हुये, पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किये जायें कि कोई व्यक्ति जिसको विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि या उपाधि—पत्र प्रदान किया गया था, ऐसे अपराध का सिद्धदोष पाया गया है, जो उनकी राय में गम्भीर अपराध है, तो शिक्षा परिषद्, कार्य परिषद् को सिफारिश कर सकती है कि ऐसी उपाधि या उपाधि—पत्र को रद्द कर दिया जाये।

- 21. विश्वविद्यालय द्वारा किसी अध्यापक का अनुमोदन, मान्यता वापस ली जा सकती है –
- (क) यदि अध्यापक, अध्यादेशों द्वारा अधिकथित रीति के अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रहता है; अथवा

अध्यापकों का अनुमोदन, मान्यता की वापसी।

- (ख) यदि कार्य परिषद् के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है कि अध्यापक ने ऐसा कार्य किया है, जो उनकी राय में गम्भीर अपराध है, कार्य परिषद् अध्यापक का अनुमोदन, मान्यता वापस ले सकती है।
- उपदान, अनुग्रह– अनुदान इत्यादि।
- के लाभ के लिये उपदान, अनुग्रह—अनुदान, इत्यादि, उपलब्ध करवायेगा।
 23. प्रदान की जाने वाली अध्येता—वृत्तियों, छात्रवृत्तियों, पदकों तथा पुरस्कारों की संख्या तथा मूल्य

कार्य परिषद् द्वारा या तो स्वप्रेरणा से या कौशल परिषद् या वित्त समिति की सिफारिशों पर अवधारित

किया जायेगा ।

विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के पैटर्न पर, अपने अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों

अध्येता—वृत्ति, छात्रवृत्ति, पदक तथा पुरस्कार ।

24. (1) इन परिनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, कोई व्यक्ति, जो किसी विशेष प्राधिकरण या निकाय का सदस्य अथवा किसी नियुक्ति विशेष को धारक के रूप में अपनी हैसियत में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य है, केवल तब तक पद धारण करेगा जब तक उस विशेष प्राधिकरण या निकाय का सदस्य या उस नियुक्ति विशेष का धारक, जैसी भी स्थिति हो, बना रहता है:

सदस्यता की समयावधि की परिसीमा ।

- परन्तु विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का ऐसा अध्यापक—सदस्य जो अपनी सेवा से त्याग—पत्र दे दे अथवा छह मास अथवा इससे अधिक के लिये छुट्टी पर चला जाए, तो वह सम्बद्ध निकाय का सदस्य नहीं रहेगा और कोई स्थानापन्न सदस्य नियुक्त किया जायेगा। यदि उसकी छुट्टी की अवधि छह मास से कम हो, तो उसकी सदस्यता छुट्टी से वापसी तक अथवा छह मास की अवधि की समाप्ति तक, इनमें से जो भी बाद में हो, स्थगित रखी जायेगी। जहां सदस्यता स्थगित रखी जाए, वहां कोई स्थानापन्न सदस्य नियुक्त या निर्वाचित नहीं किया जायेगा।
- (2) यदि कोई अध्यापक छह मास अथवा इससे अधिक की अवधि के लिये छुट्टी पर हो, तो वह उस विशेष रिक्ति के लिये नामनिर्देशन या पुनः निर्वाचन के लिये पात्र नहीं होगा। तथापि, वह ऐसी रिक्ति पर, जो छुट्टी से उसके लौटने के बाद उत्पन्न हो, नामनिर्देशन या निर्वाचन के लिये पात्र होगा।
- 25. विश्वविद्यालय के इन परिनियमों अथवा अध्यादेशों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, कोई भी व्यक्ति, जो नैतिक अधमता वाले किसी अपराध का सिद्धदोष हो अथवा जो किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था से अथवा विश्वविद्यालय से अथवा किसी भी प्रकार की शिक्षा संस्था से कदाचार के कारण पदच्युत कर दिया गया हो, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का अथवा विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति का सदस्य बनने या जारी रहने के लिये पात्र नहीं होगा। निलम्बन के अधीन किसी व्यक्ति को उसके निलम्बन की अविध के दौरान उपर्युक्त प्राधिकरणों या समितियों की किसी बैठक में बैठने के लिए अनुमत नहीं किया जायेगा।

सदस्यता इत्यादि की समाप्ति ।

26. यदि कोई व्यक्ति कौशल परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा के संबंध में उसकी ओर से किये गये किसी अनाचार के कारण विश्वविद्यालय के किसी कार्य से विवर्जित कर दिया गया हो, तो ऐसा व्यक्ति अपवर्जन रहने तक, विश्वविद्यालय के किसी निकाय या प्राधिकरण का सदस्य बनने अथवा बने रहने के लिये निरर्हित रहेगा ।

सदस्यता के लिये निरर्हिता ।

27. (1) विश्वविद्यालय के अधिकारी, अध्यापक तथा अन्य कर्मचारी कुलपित तथा संबंधित उच्च अधिकारियों के नियन्त्रण के अधीन रहते हुए ऐसी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जिन्हें कार्य परिषद् अध्यादेशों या विनियमों तथा विनियमों के द्वारा अंगीकृत संकल्पों द्वारा प्रत्यायोजित करे ।

प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

- (2) कुलपित या कुल—सचिव, कुलाधिपित के अनुमोदन से, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी, अध्यापक या किसी अन्य कर्मचारी को ऐसी शक्तियां, जो वह आवश्यक समझे जो उनमें परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा निहित की गई हैं, प्रत्यायोजित कर सकता है ।
- 28. यदि कौशल परिषद् के कम से कम दो तिहाई सदस्य सिफारिश करते हैं कि किसी व्यक्ति, इस आधार पर कि वह उनकी राय में अपनी विख्यात हैसियत तथा शैक्षणिक उपलिख्यों के कारण वह ऐसी उपाधि प्राप्त करने के लिए उपयुक्त और उचित व्यक्ति हो, को सम्मानित उपाधि प्रदान की जाएगी और यह सिफारिश कार्य परिषद् द्वारा दृष्टाकिंत और कुलाधिपति द्वारा पृष्ठांकित की गई है, तो विश्वविद्यालय में चल रही किसी परीक्षा के लिए उससे इस प्रकार सिफारिश की गई सम्मानिक उपाधि किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदत्त की जा सकती है।

सम्मानिक उपाधि। नियुक्ति का विशेष ढंग।

- 29. (1) परिनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कार्य परिषद् ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे, विश्वविद्यालय में आचार्य के पद को स्वीकार करने के लिए उच्च विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधियां तथा वृत्तिक योग्यताओं वाले किसी व्यक्ति को आमंत्रित कर सकती है तथा ऐसा करने के लिए सहमित देने वाले व्यक्ति को पद पर नियुक्त कर सकती है।
- (2) कार्य परिषद् अध्यादेशों में अधिकथित रीति के अनुसार किसी अन्य विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत किसी अध्यापक या किसी अन्य शैक्षणिक अमले को नियुक्त कर सकती है।

संबद्ध की वापसी। 30. यदि किसी समय पर, कार्य परिषद् पाती है कि कौशल महाविद्यालय अथवा संस्था, विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों अथवा विनियमों उस द्वारा अथवा उसके निमित्त जारी अनुदेशों की अपेक्षाओं की पालना नहीं कर रहा है / नहीं कर रही है, तो कार्य परिषद् ऐसे महाविद्यालय अथवा संस्था के संबद्धता को वापसी करेगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

भारत की 2022 तक रफ्तार, स्केल तथा मानकों सहित 40 करोड़, (400 मिलीयन) युवाओं को निपुण बनाने का विशाल लक्ष्य है चूँकि इस समय भारत में केवल 2 प्रतिशत आबादी निपुण हैं। इस समय देश सुप्रशिक्षित, क्वालिटी श्रम तथा शिक्षित कार्य शक्ति के जो तुच्छ कौशल या कोई भी कार्य निपुणता नहीं रखते, बड़े भाग की गैर-नियोजनीयता की भारी कमी को दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है। केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न ध्वज-पोत प्रोग्राम जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इण्डिया, डिजीटल भारत, राष्ट्रीय सोलर मिशन इत्यादि का भी आरम्भ किया है जो कि और अधिक कुशल मानव शक्ति की मॉग करता है। देश में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।

उद्योग के लिए कुशल मानव शक्ति की आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए तथा उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने हरियाणा कौशल विकास मिशन स्थापित किया है। तकनीकी शिक्षा विभाग को राज्य में कौशल विकास के लिए नोडल विभाग के रूप में मनोनीत किया है। इस समय यहां 12 राज्य विश्वविद्यालय, 4 राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय, 01 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ०९ डीम्ड विश्वविद्यालय तथा १७ प्राईवेट विश्वविद्यालय हैं। राज्य में १४८ इंजीनियरिंग महाविद्यालय, २०४ बह्तकनीकी, 152 एमबीए महाविद्यालय, 52 एमसीए महाविद्यालय, 06 बीएचएमसीटी संस्थाए तथा 31 बी0फार्मेसी महाविद्यालय हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अधिकतम सकल भर्ती अनुपात तथा कौशल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें सभी स्तर पर संस्थानों की संख्या को बढाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचे को प्रभावी रूप से आगे बढाने तथा सही भाषा और भाव की दृष्टि से इसे लागू करने के उददेश्य से संस्थागत रचनातंत्र रखे जाने की आवश्यकता है। इस समय उच्चतर शिक्षा प्रणाली भिन्न क्षेत्रों में कौशल शिक्षा से रहित है। कौशल शिक्षा के लिए शैक्षिक उदाहरण अपेक्षित है जिसमें वास्तविक शब्दों में व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा औद्योगिक स्थापना तथा उद्योग संयोजन शिक्षा के चालक की कसौटी के रूप में हैं। इसकी अपेक्षा उच्चतर शिक्षा प्राप्ति के लिए है अर्थात् कौशल विश्वविद्यालय, कौशल शिक्षा के लिए स्पष्ट आदेश सहित विभिन्न रूप से विचार करता है तथा विचारों को निर्मित करेगा।

प्रस्तावित कौशल विश्वविद्यालय पूर्व शिक्षा प्राप्ति सक्षमता आधारित मोडूलर पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक प्रवाह के आरपार क्रेडिट ढाँचे की मान्यता के लिए प्रणाली विकसित करेगा। विशिष्ट उद्योग सैक्टर के पाठ्यक्रमों को अनिवार्य रूप से डिजाईन करते समय विश्वविद्यालय प्रणाली के साथ समेकित किया जाएगा। विश्वविद्यालय में कौशल प्रदान करने के लिए कौशल शिक्षा में उत्कृष्टता का केन्द्र भी होगा, जो भूमण्डल के आरपार स्वीकार योग्य हैं। प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम को समायोजन योग्य करने के लिए उद्योगों के साथ सम्बन्ध बनायेगा। जीवन निपणता, कम्प्यूटर, उद्यमिता शिक्षा-पारित प्रणाली, व्यक्तित्व विकास, समय प्रबन्धन, तनाव प्रबन्धन, शिक्षण देना, शिष्टाचार, पाठ्यक्रम का भाग होंगे। उद्योग तथा औद्योगिक निकाय विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों के सदस्य बनेंगे। अध्यापन/शिक्षा-प्राप्ति कक्षा में पारस्परिक क्रिया, नियतकार्य मामले के अध्ययन पर आधारित होगी। संकाय में आवश्यकता के अनुसार उद्योग विगोपन वाग्दत किया जाएगा। प्रोग्राम में चुनिन्दा आधारित क्रेडिट प्रणाली तथा बहुविध बिन्दु प्रविष्टि तथा निकासी होगी तथा अन्तर यदि कोई तो भरने के लिए सेतु पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे।

उपरोक्त लक्ष्यों एवं उददेश्यों के साथ तथा क्षेत्र के युवाओं को उद्योग आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उपयुक्त विधायिकी द्वारा कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना है।

	राम बिलास शर्मा, तकनीकी शिक्षा मंत्र	
	हरियाणा।	
चण्डीगढ़:	आर० के० नांदल,	
दिनांक २६ अगस्त, २०१६	सचिव।	

प्रत्यायोजन विधान के बारे ज्ञापन

हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय विधेयक 2016 खण्ड—1 का उपखण्ड—2 राज्य सरकार को अधिनियम को लागू करने की तिथि अधिसूचित करने का अधिकार देता है। प्रस्तावित विधेयक का खंड 22 विश्वविद्यालय के प्राधिकरण या अधिकारियों में शिक्तियों के प्रत्यायोजन की व्यवस्था करता है, प्रस्तावित विधेयक का खंड 23 कार्यकारी परिषद के कुलपित के अनुमोदन से अधिनियम के अधीन परिनियमों या अतिरिक्त परिनियमों को बनाने, परिनियमों को संशोधित / निरसित करने हेतु अधिकार देता है, विधेयक का खण्ड 25 कार्यकारी परिषद को अध्यादेश बनाने, संशोधित करने, निरसित करने एवं जोड़ने का अधिकार देता है। इसी प्रकार विधेयक का खण्ड 26 विश्वविद्यालय के प्राधिकरण को अधिनियम के प्रयोजन की पालना करने हेतू विनिमय बनाने की शिक्तियां प्रत्यायुक्त करता है। प्राधिकरण को शिक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य आचरण है। अतः हरियाणा विधान मण्डल के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 126 के अंतर्गत वांछित प्रत्यायोजन विधान का ज्ञापन संलग्न है।

54591—H.V.S.—H.G.P., Chd.